केवल आप के लिये
गांव–गांव शहर–शहर देश दुनियां में अपनों तक पहुंचाना है तो :भारतीय बस्ती दैनिक वेब
www.bhartiyabasti.com
और उसका छपा संस्करण
सबसे बेहतर माध्यम
सम्पर्क–bhartiyabasti@gmail.com
मो० 9450567450| 9336715406

दैनिक
भारतीय बस्ती

भारतीय बस्ती
www.bhartiyabasti.com
के लिये विज्ञापन बुक कराये।
विचार, प्रचार का सशक्त माध्यम
सम्पर्क
मो० 9336715406
8400925463

भारतीय बस्ती आमंत्रण मूल्य 2रूपया

R.N.I. 38784/81 डाक पंजीकरण सं० B.S.T 59 बस्ती, वर्ष :47 अंक 275 गुरूवार 30 अप्रैल 2026 (बस्ती संस्करण) बस्ती एवं अयोध्या–फैजाबाद से एक साथ प्रकाशित पृष्ठ :4मूल्य:3.00 रुपया www.bhartiyabasti.com

एक नजर

राष्ट्रीय लोक अदालत 9 को: तैयारियां तेज

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली, उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार 9 मई को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जनपद न्यायाधीश शमसुल हक द्वारा जिले के प्रशासनिक अधिकारियों, बैंक अधिकारियों की प्री–ट्रायल बैठक आहूत की गयी। बैठक की अध्यक्षता करते हुये उन्होने बैठक में उपस्थित विभिन्न विभागों के प्रशासनिक अधिकारियों व बैंक अधिकारियों को राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों के संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश दिये गये।

उन्होने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक वादों का सुलह समझौता के आधार पर निस्तारण किया जाये, जिससे आम जन को त्वरित व सुलभ न्याय मिल सकें। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों को नियत किया जाये ताकि अधिकतम मामलों का निस्तारण हो सके। जनपद न्यायाधीश द्वारा सभी विभागों से समन्वय स्थापित कर लोक अदालत को सफल बनाने की अपील की गयी।

नोडल अधिकारी प्रमोद कुमार गिरि द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत 9 मई को जनपद न्यायालय, कलेक्ट्रेट मुख्यालय एवं समस्त तहसील मुख्यालयों में किया जायेगा।

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवेन्द्र कुमार–प्रथम द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, परकाम्य लिखित अधिनियम की धारा–138 से सम्बन्धित मामलें, बैंक वसूली से सम्बन्धित मामलें, मोटर दुर्घटना से सम्बन्धित प्रतिकर याचिकाएं, श्रम वादों, पारिवारिक वादों, जिन वादों का निस्तारण सुलह–समझौते के आधार पर हो सकता है, उन्हें भी अधिक से अधिक संख्या में नियत कर निस्तारित किया जायेगा।

उपभोक्ता फोरम में जानडियर इंडिया व एसपी अहृटोमोबाइल्स की जीत, शिकायत खारिज

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बस्ती द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण निर्णय में जानडियर इंडिया से संबंधित कंपनी तथा एसपी ऑटोमोबाइल्स को बड़ी राहत मिली है। आयोग ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायत को पोषणीय न मानते हुए निरस्त कर दिया।

प्रकरण के अनुसार, परिवादी ने आरोप लगाया था कि उसने विभिन्न किस्तों के रूप में बड़ी धनराशि जमा की, लेकिन उसे सही तरीके से ऋण खाते में समायोजित नहीं किया गया और कुछ राशि कर्मचारियों द्वारा हड़प ली गई। इसके साथ ही वाहन खरीद से संबंधित वित्तीय लेनदेन और किस्त भुगतान को लेकर भी विवाद उठाया गया था।

मामले की सुनवाई के दौरान आयोग ने पाया कि परिवादी ने जानडियर फाइनेंशियल के माध्यम से ऋण लेकर वाहन खरीदा था और किस्तों के भुगतान में अनियमितता रही। उपलब्ध दस्तावेजों एवं साक्ष्यों के आधार पर यह भी स्पष्ट हुआ कि परिवादी द्वारा जमा की गई कुछ ध नराशि को ऋण खाते में समायोजित किया गया था, जबकि शेष भुगतान समय से नहीं किया गया, जिसके चलते खाता डिफॉल्टर हो गया।

आयोग ने यह भी माना कि जिन कर्मचारियों पर धन हड़पने का आरोप लगाया गया है, उस संबंध में उपभोक्ता फोरम के बजाय संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराना था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत ऐसे मामलों का प्रत्यक्ष निस्तारण संभव नहीं है।

साथ ही, एसपी ऑटोमोबाइल्स की भूमिका केवल वाहन विक्रेता तक सीमित पाई गई और ऋण लेनदेन से उनका सीधा संबंध नहीं पाया गया। इस आधार पर उनके विरुद्ध भी कोई उपभोक्ता विवाद स्थापित नहीं हुआ।

अंततः आयोग ने यह निष्कर्ष निकाला कि परिवादी का वाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत पोषणीय नहीं है, इसलिए शिकायत को निरस्त किया जाता है।

इस निर्णय के साथ ही जानडियर इंडिया से जुड़ी वित्तीय संस्था और एसपी ऑटोमोबाइल्स को बड़ी जीत मिली है।

एग्जिट पोल में बंगाल–असम समेत तीन राज्यों में भाजपा सरकार

नई दिल्ली (आभा)। पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों की मतदान प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब सभी की निगाहें इन राज्यों में सरकार बनाने वाले दलों पर टिकी हुई हैं। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। नतीजों से पहले एग्जिट पोल के अनुमान सामने आ गए हैं।

AXIS MY INDIA के अनुसार, एक बार फिर असम से बीजेपी की सरकार बन सकती है। एग्जिट पोल के अनुसार, बीजेपी को 88–100 सीटें मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस को 24–25 सीट मिलने का अनुमान है। अब तक आए एग्जिट पोल के अनुसार, बीजेपी बंगाल, असम समेत तीन राज्यों में सरकार बना सकती है। बता दें कि असम, केरल और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को वोटिंग हुई, जबकि तमिलनाडु में भी एक ही चरण में 23 अप्रैल को मतदान पूरा हुआ। वहीं, पश्चिम बंगाल में दो चरणों वाले मतदान का पहला चरण 23 अप्रैल को संपन्न हो चुका है और दूसरे चरण की वोटिंग पूरी हो चुकी है। ..

तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव के लिए इंडिया टीवी का एग्जिट पोल जारी हो गया है। एग्जिट पोल के अनुसार DMK गठबंधन सबसे आगे है।

जनपद न्यायाधीश ने किया संप्रेषण गृह का निरीक्षण

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । पचपेडिया मार्ग स्थित बाल संप्रेषण गृह का बुधवार को निरीक्षण किया गया। इस दौरान जनपद न्यायाधीश शमशुल हक, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवेंद्र कुमार, प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड राज बाबू, क्षेत्राधिकारी सदर और उप जिलाधिकारी सदर मौजूद रहे।

निरीक्षण के दौरान संप्रेषण गृह में उचित साफ–सफाई और मानक के अनुरूप भोजन की गुणवत्ता पाई गई। अधीक्षक को सभी किशोरों का शत–प्रतिशत प्रवेश सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए, ताकि वे शिक्षित हो सकें। न्यायाधीश ने किशोरों को शर्ट वितरित किए। अधीक्षक ने बताया कि हाई स्कूल की परीक्षा में शामिल हुए सभी किशोर उत्तीर्ण हो गए हैं, जिस पर जनपद न्यायाधीश ने प्रसन्नता व्यक्त की।

अधीक्षक द्वारा गैस सिलेंडर की अनुपलब्धता की समस्या बताई गई, जिसके संबंध में उप जिलाधिकारी सदर को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। जनपद न्यायाधीश ने किशोरों को वॉलीबॉल जैसे खेलों में भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया।

हेलीकॉप्टर से हुई दुल्हन की विदाई

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

इटवा (सिद्धार्थनगर) । जिले में एक शादी इन दिनों पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। यहां दूल्हा अपनी दुल्हन को विदा कराने हेलीकॉप्टर लेकर पहुंचा, जिसे देखने के लिए ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। कठेला समय माता थाना क्षेत्र के खैरा गांव इटवा तहसील निवासी सुभाष चौधरी के बेटे की शादी संपन्न हुई। शादी के बाद दुल्हन की विदाई हेलीकॉप्टर से कराई गई। जैसे ही गांव के पास हेलीकॉप्टर उतरा, आसपास के लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए और इस अनोखे पल को अपने मोबाइल कैमरों में कैद करने लगे। हेलीकॉप्टर से दुल्हन की विदाई को लेकर गांव में उत्साह का माहौल देखने को मिला। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। पुलिस की निगरानी में दुल्हन की सुरक्षित विदाई कराई गई। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने पहली बार अपने इलाके में किसी दुल्हन की हेलीकॉप्टर से विदाई देखी है। यही वजह है कि यह शादी पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है।

प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण करने वाले छात्रों में किया साईकिल, स्कूली बैग का वितरण

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा मण्डल महासचिव एवं लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी ठाकुर प्रेम नन्दवंशी ने हर्रैया विकास खण्ड क्षेत्र के ग्राम पंचायत महादेवा में यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इण्टर मीडिएट में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण करने वाले छात्र–छात्राओं में साईकिल और स्कूली बैग का वितरण कर उनका उत्साहवर्धन किया।

ठाकुर प्रेम नन्दवंशी ने कहा कि शिक्षा के माध्यम से ही सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन होंगे। उन्होने छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना किया। प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण करने वाले छात्र–छात्राओं काजल शर्मा, सरोजनी शर्मा, नेहा वर्मा प्रतिष्ठा त्रिपाठी को साइकिल और सौरभ तिवारी, अखिलेश कन्नौजिया, रोली शर्मा,सौम्य शर्मा, मांडवी शर्मा को बैग मिला तो उनके चेहरों पर मुस्कान थी।

मेधावी छात्रों में साइकिल और स्कूली बैग वितरण के दौरान मुख्य रूप से राम दीप शर्मा, ध्रुव कुमार चौधरी, विष्णु हरि त्रिपाठी, दीनानाथ ठाकुर, कपिल देव शर्मा, विनय गौतम, रिया शर्मा, कोमल शर्मा, अमर बहादुर,प्रवीण कुमार प्रजापति, शिम्पी, परमेश्वर नाथ त्रिपाठी आदि उपस्थित रहे।

पदाधिकारियों, सदस्यों में किया परिचय–पत्र का वितरण

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। बुधवार को प्रेस क्लब सभागार में समारोहपूर्वक श्रमजीवी पत्रकार यूनियन उ.प्र. के जिला पदाधिकारियों, सदस्यों में परिचय–पत्र का वितरण किया गया। प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रकाश गोंड ने कहा कि श्रम जीवी पत्रकार यूनियन स्थानीय, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर पत्रकार हितां के लिये निरन्तर संघर्षरत है।

जिलाध्यक्ष डा. वी.के. वर्मा ने कहा कि पहचान और विश्वसनीयता के लिये परिचय पत्र आवश्यक है। उन्होने कहा कि पदाधिकारी और सदस्य अपना परिचय पत्र सदैव साथ रखें। अति शीघ्र पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण कराया जायेगा।

परिचय–पत्र वितरण कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉ. रामकृष्ण लाल 'जगमग', राजेश कुमार पाण्डेय, अनूप मिश्र, राकेश गिरी, रितिक कुमार, अमर सोनी, अजय कुमार श्रीवास्तव, जितेन्द्र कुमार, अनिल कुमार पाण्डेय, सरताज आलम, कपीश मिश्र, बजरंग प्रसाद शुक्ल, मो. कलीम, राकेश त्रिपाठी, लवकुश सिंह, अरूण कुमार, अखिलेश यादव आदि उपस्थित रहे।

दानवीर भामाशाह बनियां समुदाय के गौरव-संजय प्रताप जायसवाल

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। बुधवार को वैश्य शिरोमणि दानवीर भामाशाह की जयन्ती का आयोजन साहू महासभा द्वारा प्रेस क्लब सभागार में किया गया। इस अवसर पर मेधावी छात्र–छात्राओं जिला टापर हाईस्कूल की वैष्णवी गुप्ता और आकाश गुप्ता को अतिथियों द्वारा पुरस्कृत कर उनका हौसला बढाया।

मुख्य अतिथि संजय प्रताप जायसवाल ने बताया कि दानवीर भामाशाह बनियां समुदाय के गौरव हैं जो देश हित में हिन्दू सभ्यता की रक्षा के लिये अपने पूरे जीवन की पूंजी को दान कर दिया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिला अध्यक्ष धर्मराज गुप्ता ने बताया कि भामाशाह का जन्म 29 अप्रैल 1547 में राजस्थान के मेवाड राज में हुआ था इनके पिता का नाम भारमल कांवडिया था यह महाराणा प्रताप के बचपन के मित्र थे और बाद में मेवाड के सलाहकार व प्रधानमंत्री बनाये गये हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप के पास धन और संसाधनों की भारी कमी थी देश पर मुगलकाल का संकट गहराने लगा उस समय दानवीर भामाशाह ने आगे बढ़ करके अपना सारा धन सम्पदा देश व हिन्दू सभ्यता को बचाने के लिये महाराणा प्रताप को दान दे दिया।

–भामाशाह जयन्ती पर पुरस्कृत किये गये मेधावी

विशिष्ठ अतिथि सन्तराम गुप्ता प्रदेश उपाध्यक्ष ने सभी को एक जुटता का मंत्र दिया और ऐसा आयोजन हर वर्ष होने का आश्वासन दिया

कार्यक्रम में मुख्य रूप जिला संरक्षक राम बहोर गुप्ता, विष्णु गुप्ता, राम सहाय गुप्ता, लाल जी गुप्ता, श्याम सुन्दर गुप्ता, जितेन्द गुप्ता, अनिल गुप्ता, दलजीत गुप्ता, देवराज गुप्ता,लवकुश गुप्ता, राजन गुप्ता का विशेष योगदान रहा। संचालन ओम प्रकाश ठाकुर ने किया।

कार्यक्रम में प्रमुख रूप से राजेश गुप्ता, पवन गुप्ता, विवेकानन्द गुप्ता, राम प्रसाद साहू, राजन गुप्ता, आजाद गुप्ता, सूर्यनाथ साहू, सुबाष साहू, राम उग्रह साहू, संतोष कुमार गुप्ता, विकास बरनवाल, राजीव जायसवाल, सतीश सोनकर आदि सैकडो लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया

महिला अधिकारों के लिए भाजपा संकल्पित- विवेकानन्द मिश्र

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष विवेकानन्द मिश्र ने 16 एवं 17 अप्रैल को संसद में हुए महत्वपूर्ण विधेयकों पर विपक्ष के रवैये की तीखी आलोचना किया। पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और डीएमके ने इन विधेयकों का विरोध कर देश की आधी आबादी,महिलाओं के साथ विश्वासघात किया है और अपनी महिला–विरोधी मानसिकता को पूरी तरह उजागर कर दिया है।

उन्होंने बताया कि इस मुद्दे को लेकर पार्टी की महिला पदाधिकारियों द्वारा जनपद के प्रत्येक मंडल में "जन आक्रोश महिला पदयात्रा" निकाली जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भाग लेकर अपना आक्रोश प्रकट कर रही हैं। साथ ही छात्रावासों एवं महाविद्यालयों में छात्राओं के बीच संपर्क अभियान चलाकर उन्हें जागरूक किया जा रहा है।

जिलाध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि नीति–निर्माण में महिलाओं की भागीदारी कोई उपकार नहीं, बल्कि उनका स्वाभाविक अधिकार है।

प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह ने परिसीमन को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम को तथ्यों के साथ खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि इससे किसी भी राज्य के साथ अन्याय नहीं होगा, बल्कि दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व और सशक्त होगा।

जिलाध्यक्ष ने विपक्षी दलों पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे जानबूझकर तकनीकी बहानों के माध्यम से प्रक्रिया को टालने का प्रयास कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी द्वारा धर्म आधारित आरक्षण की मांग को उन्होंने असंवैधानिक और तुष्टिकरण की राजनीति करार दिया। उन्होंने कहा कि यह महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखने की सुनियोजित साजिश है।

उन्होंने कहा कि संसद में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, परिसीमन विधेयक एवं केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक पर हुई चर्चा देश के लोकतांत्रिक भविष्य और महिलाओं की भागीदारी को सशक्त बनाने का ऐतिहासिक अवसर था, जिसे विपक्ष ने बाधित करने का प्रयास किया।

जिलाध्यक्ष विवेकानन्द मिश्र ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी महिला सशक्तिकरण, संतुलित प्रतिनिधित्व और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है और महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए हर स्तर पर संघर्ष जारी रखेगी।

जिला महामंत्री अमृत कुमार वर्मा, जिला मंत्री नीरज पाण्डेय, मीडिया प्रभारी अजय पाल व नीरज त्रिपाठी वार्ता में उपस्थित रहे।

आंधी–बारिश में गिरे पेड

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । जिले में बुधवार को मौसम ने अचानक करवट ली। तेज आंधी के साथ हल्की बारिश हुई, जिससे जगह–जगह पेड़ गिर गए और यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ।

कप्तानगंज थाने के सामने एक विशालकाय पेड़ गिरने से रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। सूचना मिलने पर थानाध्यक्ष आलोक कुमार श्रीवास्तव ने तुरंत मौके पर पहुंचकर पेड़ हटवाया, जिसके बाद यातायात सुचारू हो सका।पोखरा–कप्तानगंज मार्ग पर लैहिलवारा स्थित गन्ना क्रय केंद्र के सामने भी तेज आंधी से भारी नुकसान हुआ। यहां एक विशाल चिलबिल का पेड़ गिरने से मार्ग पूरी तरह बाधित हो गया। पोखरा बाजार में आदर्श इंटर कॉलेज के सामने भी एक बड़ा पेड़ गिरने से सड़क बंद हो गई। राहत की बात यह रही कि इन सभी घटनाओं में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।

विजेन्द्र कुमार मण्डल अध्यक्ष हेमन्त प्रताप महामंत्री घोषित

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

–उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव इन्सपेक्टर्स एसोसिएशन के अधिवेशन में उठे मुद्दे

बस्ती। बुधवार को उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव इन्सपेक्टर्स एसोसिएशन का मण्डलीय अधिवेशन विकास भवन सभागार में संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक विकास कुमार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। अधिवेशन में कोआपरेटिव इन्सपेक्टर्स एसोसिएशन की समस्याओं पर वक्ताओं ने विस्तार से प्रकाश डाला और एकजुटता पर जोर दिया। दूसरे चरण में चुनाव अधिकारी अर्जुन पटेल की देख रेख में पदाधिकारियों का चुनाव किया गया। सर्व सम्मत से रमेश चन्द्र कन्नौजिया संरक्षक, विजेन्द्र कुमार यादव मण्डल अध्यक्ष, हेमन्त प्रताप सिंह महामंत्री, अरविन्द झां उपाध्यक्ष, दिलीप कुमार गौतम कोषाध्यक्ष घोषित किये गये। इसी कड़ी में बस्ती जिला इकाई से विजय वर्मा अध्यक्ष, नीरज कन्नौजिया महामंत्री, सिद्धार्थनगर से अमरीश कुमार यादव अध्यक्ष, रामजी गौतम महामंत्री, संतकबीर नगर से रामसजीवन पाण्डेय अध्यक्ष, संजीव कुमार महामंत्री चुने गये।

नव निर्वाचित पदाधिकारियों को पर्यवेक्षक विजय कुमार मिश्र ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाया।

संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक विकास कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में अधिवेशन को सम्बोधित करते हुये कहा कि संघ की अपनी विशेष शक्ति होती है। एकजुटता से ही लक्ष्य हासिल होते हैं। उन्होने नव निर्वाचित पदाधिकारियों से अपेक्षा किया कि वे अपने दायित्वों का पूरी निष्ठा से पालन करें।

मण्डलीय अधिवेशन में मुख्य रूप से सुनील कुमार पाण्डेय, राजेश कुमार यादव, विनोद मिश्र, धर्मराज यादव, राजीव लोचन पाठक, विनोद, रामसजीवन पाण्डेय के साथ ही उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव इन्सपेक्टर्स एसोसिएशन के अनेक सदस्य, विभागीय अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे।

मकान के विवाद में मारा पीटा: एसपी से दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई की मांग

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के गनेशपुर टोला चौरवा निवासी अशोक कुमार गुप्ता पुत्र स्वर्गीय राम दुलारे गुप्ता ने पुलिस अधीक्षक को पत्र देकर पट्टीदारी में मकान के विवाद को लेकर हुये मारपीट के मामले में दोषियों के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई और अपने परिवार के जान माल के रक्षा की गुहार लगाया है।

एसपी को दिये पत्र में अशोक कुमार गुप्ता ने कहा है कि उनके पिता स्वर्गीय राम दुलारे और बडे पिता स्वर्गीय रामफेर दोनों सगे भाईयों ने तीन मंजिला पक्का मकान गनेशपुर टोला चौरवा में बनवाया जहां संयुक्त परिवार निवास करते हैं। दोनों की मृत्यु के बाद भू–तल पर अशोक कुमार गुप्ता का परिवार और ऊपर के मंजिल पर स्वर्गीय रामफेर के परिजन निवास करते हैं। तीसरे तल पर स्वर्गीय रामफेर के पुत्र कृष्ण गोपाल, ओम प्रकाश और धर्मेन्द्र ने जबरिया कब्जा कर लिया है और आये दिन कलह करते हैं। वे जबरिया अशोक कुमार गुप्ता के हिस्से का मकान कब्जा कर लेना चाहते हैं। इसी को लेकर आये दिन विवाद करते हैं। गत 25 अप्रैल को अशोक कुमार गुप्ता का बेटा सत्यम गुप्ता गांव के ही बच्चों को पढा रहा था कि ओम प्रकाश, गोलू उर्फ आर्यन, वशू, काजल, अंजनी सहित स्वर्गीय रामफेर के परिवार के सदस्यों ने मिलकर सत्यम को बुरी तरह से मारा पीटा, किराने की दूकान में तोड़फोड किया और बाहर खड़ी छात्रों की साईकिल को ढकेल दिया। इससे लगभग 20 हजार रूपये का नुकसान हुआ और सत्यम को काफी चोट आयी। घटना की सूचना गनेशपुर चौकी पर दिया गया, पुलिस ने दोनों पक्षों का मेडिकल कराकर शांति भंग के अन्देशे में चालान कर दिया। वाल्टरगंज पुलिस ने घटना की प्राथमिकी दर्ज नहीं किया। उल्टे पुलिस समझाते का दबाव बना रही है। अशोक कुमार गुप्ता का परिवार इससे डरा हुआ है। उसने मामले में दोषियों के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कराकर कार्रवाई और अपने परिवार के जान माल के रक्षा की गुहार लगाया है।

"मुझे अखबार निकालने दो तो मै इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"–वेंडेल फिलिप्स

दैनिक
भारतीय बस्ती
बस्ती 30 अप्रैल 2026 गुरूवार

सम्पादकीय

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के यक्ष प्रश्न

आज सूचना क्रांति और सोशल मीडिया के दौर में पूरी दुनिया में गहरे तंज करती डिजिटल सामग्री का उफान है। जो दुनिया की भौगोलिक सीमाओं और सत्ता के शिकंजे से मुक्त होकर स्वतंत्र प्रवाह लिए हुए है। लेकिन इसके बावजूद देश में स्टैंडिंग कॉमेडियनों और व्यंग्यकारों के लिए राजनेताओं पर व्यंग्य करना तलवार की धार पर चलने जैसा बना हुआ है। 'नाक पर मक्खी न बैठने देने' वाले सत्तारूढ़ राजनेता कॉमेडियनों पर शिकंजा कसने को तैयार बैठे होते हैं। इसी कड़ी में हैदराबाद के कॉमेडियन शरत उदय के बेंगलुरु स्थित स्टैंड–अप शो में तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी के समर्थकों के एक समूह ने मंच पर आकर जो उत्पात मचाया, निस्संदेह वह दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जाएगा। टीडीपी के समर्थकों ने मंच पर आकर उन्हें तेलुगु देशम पार्टी के नारे लगाने को बाध्य किया। इस हुड़दंग से यह कार्यक्रम बाधित हो गया। इसके चलते न केवल उदय को अपना कार्यक्रम रोकना पड़ा, बल्कि एक बार फिर माफी मांगनी पड़ी। दरअसल, दो साल पहले उदय के व्यंग्यात्मक चुटकुलों के जरिये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और उनके बेटे राज्य मंत्री नारा लोकेश को लक्षित किया गया था। निस्संदेह,यह अभिव्यक्ति व रचनात्मकता पर अंकुश लगाने का कुत्सित प्रयास ही कहा जाएगा। सही मायनों में यह घटनाक्रम हास्य–व्यंग्यपूर्ण असहमति के प्रति बढ़ती असहनशीलता का एक और उदाहरण है। गाहे–बगाहे विभिन्न राज्यों में अलग–अलग राजनीतिक दलों द्वारा ऐसी अलोकतांत्रिक प्रतिक्रियाएं सामने आती ही रहती हैं। जबकि हकीकत यह है कि हास्य का संसार बड़े लोगों की सहिष्णुता व उदारता से ही फलता –फूलता है। खासकर उस भारतीय समाज में जहां अकसर कबीरदास की यह उक्ति दोहरायी जाती है दृ 'निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाय। बिन पानी, साबुन बिना, निर्मल करे सुभाय।' उनका कहना था कि आलोचक हमारी कमियां बताकर हमारे स्वभाव को शुद्ध और निर्मल बना देते हैं। सही मायनों में व्यंग्य व हास्य इंसान की सहज अभिव्यक्ति के तौर पर लिया जाना चाहिए।

निश्चित रूप से यदि हमारे राजनेता व बड़े लोग व्यंग्य या आलोचना को सहजता से लेते हैं तो इससे समाज में हास्य–विनोद भरपूर फलता–फूलता है। विशेष रूप से राजनीतिक व्यंग्य भारत में लंबे समय तक सत्ता को आईना दिखाता रहा है। पंडित नेहरु जैसे नेता कार्टूनिस्टों की तल्ख अभिव्यक्ति को सहजता से लेते थे और व्यंग्यकारों का सम्मान करते थे। ६ ीर–गंभीर राजनेता आलोचना को जनता की नसीहत मानते रहे हैं। कालांतर राजनेताओं की इस सोच में पराभव देखा गया है। विडंबना ही है कि वर्ष 2024 में नायडू व लोकेश पर किए गए व्यंग्य के लिये उदय को फिर से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को मजबूर किया गया। यह अशोभनीय प्रयास यही दर्शाता है कि वर्ग विशेष में असहमति को राजनीतिक उद्देश्यों के लिये हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। उदय प्रकरण भी इसी दुखद स्थिति के सिलसिले का हिस्सा है। हाल ही में कॉमेडियन अनुदीप कटिकाला और रफीक मोहम्मद को आंध्र प्रदेश पुलिस ने उन वीडियो के सिलसिले में गिरफ्तार किया था, जिसमें उन्होंने उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण पर व्यंग्य किया था। बीते साल मार्च में, शिवसेना कार्यकर्ताओं ने मुंबई के एक होटल में तब तोड़फोड़ की थी, जब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पक्षद्रोही कहा था। निर्विवाद रूप से यदि व्यंग्य–विनोद पर पाबंदी लगायी जाती है और कलाकारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति को बाधित किया जाता है तो इसका प्रभाव सिर्फ एक शो को ही बाधित नहीं करता। बल्कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल सिद्धांत पर ही चोट करता है। सही मायनों में यह दिक्कत कॉमेडी करने वालों से नहीं है, बल्कि राजनेताओं के असुरक्षाबोध में है, जो उन पर लोगों का हंसना बर्दाश्त नहीं कर पाते। ऐसे में राजनेताओं का नैतिक दायित्व है कि वे लोकतंत्र में स्वतंत्र अभिव्यक्ति के मर्म को समझें। इसके लिये वे अपने अति–उत्साही समर्थकों पर लगाम लगाएं। लेकिन विडंबना यह भी है कि पुलिस भी सत्ता की राजनीति के आगे नतमस्तक नजर आती है। कायदे से उसे भारतीय संविधान में वर्णित अभिव्यक्ति की आजादी की रक्षा करनी चाहिए। यदि पुलिस दायित्वों का ईमानदारी से पालन करती तो उदय जैसे कलाकारों को माफी न मांगनी पड़ती।

जिद की जंग में फंसा होर्मुज

ईरान और अमेरिका के बीच पहले युद्धविराम और फिर शांतिवार्ता की शुरुआत से यह उम्मीद जगी थी कि शायद होर्मुज जलमार्ग से जहाजों की आवाजाही फिर से सामान्य हो सकेगी। यह मुद्दा सिर्फ इन दोनों देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के अनेक देशों के लिए बेहद अहम है। लेकिन हालात एक बार फिर उलझते नजर आ रहे हैं। इजराइल और अमेरिका के साझा हमले के बाद जवाबी कार्रवाई में ईरान ने होर्मुज जलमार्ग को बाधित कर दिया। तब से अब तक उस रास्ते से केवल चीन और कुछ गिने–चुने देशों के जहाजों के गुजरने की ही खबर है।

ऐसे में भारत समेत कई देशों के लिए यह निराशाजनक स्थिति है। एक तरफ ईरान इस मार्ग को खोलने के लिए तैयार नहीं है, तो दूसरी ओर अमेरिका ने आर्थिक दबाव बढ़ाने के लिए इलाके की नाकेबंदी का ऐलान कर दिया है, जिससे संकट और गहरा गया है। अब ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा है कि जब तक अमेरिका नाकेबंदी नहीं हटाएगा, तब तक मार्ग बंद रहेगा। वहीं अमेरिका भी अपनी जिद पर कायम है कि जब तक ईरान रास्ता नहीं खोलेगा, तब तक प्रतिबंध जारी रहेंगे।

सवाल यह है कि अगर दोनों पक्ष इसी तरह अड़े रहे, तो क्या शांति की कोशिशें कभी किसी ठोस नतीजे तक पहुंच पाएंगी? एक अजीब स्थिति यह है कि युद्धविराम के बावजूद दोनों देश सीधे हमले नहीं कर रहे, लेकिन होर्मुज जलमार्ग सहित मध्य–पूर्व से तेल और गैस की आपूर्ति अब भी प्रभावित है। इसके कारण कई देशों में ऊर्जा संकट गहराता जा रहा है, तेल भंडार घट रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है और रसोई गैस की कमी से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। यानी इस टकराव की सबसे बड़ी कीमत वे देश चुका रहे हैं, जो इस संघर्ष का हिस्सा भी नहीं हैं। क्या अमेरिका और ईरान को यह नहीं सोचना चाहिए कि उनके अड़ियल रुख के कारण दुनिया की बड़ी आबादी संकट झेलने को मजबूर है?

गौरतलब है कि होर्मुज जलमार्ग दुनिया के सबसे अहम रणनीतिक समुद्री मार्गों में से एक है। वैश्विक समुद्री तेल व्यापार का लगभग 20 से 25 प्रतिशत हिस्सा इसी संकरे रास्ते से गुजरता है। इस इलाके में ईरान की स्थिति मजबूत मानी जाती है। शांति वार्ता से पहले ईरान ने इस मार्ग को खोलने के संकेत दिए थे, लेकिन युद्धविराम के बावजूद इजराइल द्वारा लेबनान पर हमले जारी रहने के बाद उसने फिर से आवाजाही रोक दी। अमेरिका और इजराइल समेत अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाने के लिहाज से होर्मुज को बंद करना ईरान की रणनीति का हिस्सा हो सकता है, जबकि अमेरिका की ओर से लगातार आ रही चेतावनियां हालात को और जटिल बना रही हैं। समाधान कब निकलेगा इसके लिये इंतजार करना होगा।

तपती धरती:कारण और समाधान

–निर्मल रानी–

उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश,छत्तीसगढ़,ओडिशा व प. बंगाल जैसे राज्य इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में हैं। इन राज्यों में कई जगहों पर तापमान 40 डिग्री से लेकर 44 डिग्री तक पहुंच गया है। पिछले दिनों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा हीटवेव अलर्ट भी जारी किया जा चुका है। मौसम विभाग ने अपनी चेतावनी में लू चलने और तापमान में 4 डिग्री तक बढ़ोतरी होने की संभावना को लेकर लोगों को सचेत किया है। पिछले कुछ वर्षों से लगभग हर साल गर्मी के तापमान में इजाफा होता ही जा रहा है। जीवन के लिये एकमात्र ग्रह पृथ्वी गत दो दशकों से ग्लोबल वार्मिंग का निरन्तर प्रभाव झेल रही है। इसके अलावा भी वैज्ञानिकों द्वारा भारत में तेज गर्मी के और भी कई कारण बताये जा रहे हैं। इन कारणों में खासकर जलवायु परिवर्तन के अलावा हीट डोम और अल नीनो प्रभाव को रेखांकित किया जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उच्च दबाव प्रणाली गर्म हवा को जमीन के पास फंसाकर श्ढक्कनश् की तरह काम करती है, जिससे तापमान तेजी से बढ़ता है। परिणाम स्वरुप बवउ. चतमेेनतम 'मिंजपदह से गर्मी और तीव्र हो जाती है। उधर पहले से हो रहा जलवायु परिवर्तन, सूखी मिट्टी और कम वनस्पति (वृक्ष कटान) इसे बढ़ावा देते हैं। इसी को हीट डोम प्रभाव कहा जाता है।

इसके अतिरिक्त ग्रीनहाउस गैसों से वैश्विक तापमान बढ़ रहा है। इसने हीटवेव की तीव्रता और इसकी अवधि दोनों को ही बढ़ा दिया है। बताया जा रहा है कि 2026 में दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में 92 शहर केवल भारत में हैं। इन गर्म क्षेत्रों में केवल दिन ही नहीं बल्कि यहां की रातें भी गर्म रहती हैं। इसे श्सीवियर वार्म नाइटश् कहते हैं। यह स्थिति जलवायु परिवर्तन का ही नतीजा है। साथ ही इस हीट वेव पर अल नीनो का प्रभाव भी बताया जा रहा है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि 2026 में सुपर अल नीनो की आशंका से रिकॉर्ड गर्मी पड़ना भी संभव है। अल नीनो का प्रभाव ही प्रशांत महासागर में गर्म पानी का दौर हवाओं को कमजोर कर भारत में गर्मी और कम मानसून लाता है। इसी के साथ गर्मी को बढ़ने में अनियंत्रित शहरीकरण की भी बड़ी भूमिका है। देश में चारों ओर खेत व जंगल वृक्ष निरन्तर कम होते जा रहे हैं। और शहरीकरण के नाम पर कंक्रीट के जंगल बढ़ते जा रहे हैं। लिहाजा श्अर्बन हीट आइलैंडश् का प्रभाव और कंक्रीट–आधारित विकास इसके लिए खासकर जिम्मेदार है। यह कंक्रीट के जंगल दिन में गर्मी को सोखते हैं और रात में इसे छोड़ते हैं। उधर शहरों में होती जा रही पेड़–पौधों की कमी से वातावरण में नमी घटती जा रही है। यही वजह है कि दिल्ली व अहमदाबाद जैसे महानगरों में रातें पूर्व की तुलना में 60: अधिक गर्म होने लगी हैं। शहरों में कंक्रीट, डामर और सीमेंट की पक्की इमारतें सूर्य की गर्मी सोख लेती हैं तथा रात में धीरे–धीरे छोड़ती हैं, जिससे तापमान ग्रामीण क्षेत्रों से 5–10 डिग्री अधिक रहता है। पेड़–पौधों और हरियाली की कमी से वाष्पीकरण घटता है, जो प्राकृतिक शीतलन प्रदान करता। साथ ही वाहनों, एसी और उद्योगों से निकलने वाली गर्मी इसे और भी तीव्र बनाती है। गोया भारतीय शहरों में बढ़ता शहरीकरण बढ़ते तापमान के लिये 60: तक जिम्मेदार है। और यही तापमान वृद्धि प्रति दशक 0.2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करता है। शहरीकरण ने गर्मी में 90: इजाफा किया है तथा रात्रिकालीन सतह तापमान लगभग 70–80: तक बढ़ा है। मिसाल के तौर पर जमशेदपुर में शहरीकरण ने तापमान वृद्धि में 100: योगदान दिया।

ऐसे में सबसे ज्वलंत प्रश्न यही है कि आखिर तापमान वृद्धि की जिम्मेदार हमारी वर्तमान पीढ़ी क्या अपनी आने वाली नस्लों को भी ऐसी ही या इससे भी अधिक तपती पृथ्वी देकर जायेगी या इससे बचने के कुछ उपाय करना चाहेगी ? इसके लिये सबसे पहले भारतीय शहरों में हरित आवरण को विस्तार देने की सख्त जरूरत है। हालांकि इसके लिये अनेक सरकारी योजनाएं व स्थानीय उपाय प्रभावी हैं जोकि शहरी गर्मी कम करने में हमारी सहायता करते हैं। इसके लिये बाकायदा कार्य योजना बनाकर तथा वर्षाऋतु के आरंभ से ही सरकारी और नगर निकाय भूमि पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाये जा सकते हैं। कई राज्य इस दिशा में सक्रियता से काम भी कर रहे हैं। वृक्षारोपण को एक आंदोलन का रूप देने के लिये हर व्यक्ति अपने परिवार के शादी ब्याह,मैरिज एनिवर्सरी,बर्थडे, जन्म मृत्यु बरसी जैसे अवसरों पर वृक्षारोपण कर इन अवसरों को यादगार बनाने के साथ साथ जलवायु को बेहतर बनाने की दिशा में भी अपना कीमती योगदान दे सकता है। इसके अलावा हर व्यक्ति जहां जमीन कम हो वहां अपने घरों की छतों पर रूफ गार्डनिंग कर सकता है और वर्टिकल गार्डन भी लगा सकते हैं। अपने घरों के खुले क्षेत्र में अधिक से अधिक गमले लगाकर भी तापमान को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है तथा ताजी ऑक्सीजन प्राप्त की जा सकती है। गौरतलब है कि कोरोना काल में जब देशभर में अचानक कोरोना प्रभावित लोगों के लिये ऑक्सीजन की कमी पैदा हुई थी उस समय लोगों को हरियाली और वृक्षारोपण की खूब याद आई थी। कई बीमार लोग तो खेतों में पेड़ों के नीचे बैठकर स्वास्थ्य लाभ लेते देखे गये। इस आपदा ने ऑक्सीजन को लेकर लोगों में इतनी जागरूकता बढ़ायी कि उसी समय से गमलों व पौधों की नर्सरी का व्यवसाय कई गुना बढ़ गया।

बहरहाल भविष्य में तापमान वृद्धि से बचने व इसके दीर्घकालिक उपाय करने के साथ साथ तात्कालिक रूप से शरीर पर पड़ने वाले इसके दुष्प्रभाव से बचाव करना भी बेहद जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले अपने शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाना और शरीर को हाइड्रेटेड रखना सबसे जरूरी है। इसके लिये बहुत सारा पानी पीना चाहिये और बार बार पीना चाहिए। इसके अलावा नारियल पानी, नींबू पानी, सत्तू व ओआरएस जैसे शीतल पेय भी शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने में मददगार होते हैं और डिहाइड्रेशन रोकते हैं। जीरा, धनिया या खस मिला ठंडा पानी भी इसके लिये बहुत फायदेमंद है। इसके साथ ही अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से भी बचना चाहिये। इसके साथ ही घरों में पर्दे,सनशेड आदि लगाकर धुप को रोका जा सकता है। रात के समय खिड़कियां खुली रखने,पंखा चलने व आवश्यकता हो तो गीले कपड़े पहनने या ठन्डे पानी से नहाने व पैरों को ठन्डे पानी में भिगोकर रखने से भी प्रचंड गर्मी से राहत पाई जा सकती है। इस मौसम में आहार में भी सावधानियां बरतने की जरूरत है। हल्का व पौष्टिक भोजन लेना चाहिये। जंक फूड को तो पूरी तरह नजरअंदाज करना चाहिए। इसप्रकार से धरती के इस बढ़ते तापमान का हम किसी हद तक मुकाबला कर सकते हैं।

आया राम–गया राम की राजनीति और संविधान

–विश्वनाथ सचदेव–

क्या दल–बदल करने वाले निर्वाचित प्रतिनिधियों का यह दायित्व नहीं होना चाहिए कि वह उस मतदाता को भी विश्वास में लें जिसने उन्हें चुना है? कोई कानून इस आशय का भी बनना चाहिए जो मतदाता के 'अधिकार' को संज्ञान में ले। कुछ ऐसी व्यवस्था भी है, जो यह निर्धारित करे कि दल–बदल करने वाले निर्वाचित व्यक्ति को अपने मतदाता से भी पहले पूछना पड़े।

लगभग साठ साल पुराना किस्सा है, जिसे भारतीय राजनीति के संदर्भ में चटखारे ले–लेकर सुना–सुनाया जाता है। हरियाणा विधानसभा में एक विधायक थे गया लाल। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे वे। एक दिन अचानक उन्हें इलहाम हुआ कि अब कांग्रेस पार्टी उनके अनुकूल नहीं है। वे कांग्रेस पार्टी छोड़कर जनता पार्टी के साथ जुड़ गये। कुछ घंटे बाद उन्हें लगा उनका यह निर्णय सही नहीं है। वे फिर अपने घर यानी कांग्रेस पार्टी में लौट आये। फिर अचानक उनके ज्ञान–चक्षु खुल गये, उन्हें समझ आया कि उनका सवेरे वाला निर्णय ही सही था। वे कांग्रेस से फिर जनता पार्टी में चले गये। एक ही दिन में तीन बार अपनी पार्टी बदलकर इन विधायकजी ने भारतीय राजनीति को एक नया मंत्र भी दे दिया और यह भी समझा दिया कि 'जनता की सेवा करने के लिए' राजनीति में इस तरह के निर्णय लेने पड़ते हैं! पर उनके अपने साथी यह मानने को तैयार नहीं थे कि किसी राजनेता को जनता की सेवा के लिए पार्टी बदलनी जरूरी लग सकती है। वे यह मानते थे कि इस तरह के निर्णय अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के चलते नेता लोग लेते हैं। गया लाल नामक उन विधायक जी के नाम पर देश की राजनीति को एक नारा मिल गया– आया राम, गया राम!

साठ साल पहले शुरू हुई राजनीतिक स्वार्थ की यह प्रवृत्ति तब एक अपवाद थी, अब यह जैसे आम बात है। नवीनतम उदाहरण कल तक 'आम आदमी पार्टी' के प्रखर नेता कहलाने वाले सांसद राघव चड्ढा का है। आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में थे राघव चड्ढा। पार्टी के कोषाध्यक्ष भी रह चुके थे। पार्टी ने उन्हें राज्यसभा की सदस्यता भी दी। फिर उनके ज्ञान–चक्षु खुल गये। उन्हें लगा जिस भारतीय जनता पार्टी को वे 'अनपढ़ गुंडों की पार्टी' मानते थे वह वास्तव में भारतीयों की सच्ची सेवा करने वाली पार्टी है और उन्होंने घोषणा कर दी कि वह आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम रहे हैं। यह इलहाम अकेले राघव चड्ढा को ही नहीं हुआ, वे अपने साथ आम आदमी पार्टी के छह सांसदों को भी ले गये। राज्यसभा के सभापति ने बिना कुछ देर किये इन्हें सदन में भाजपा के सदस्य के रूप में मान्यता भी दे दी है। राघव चड्ढा की पुरानी पार्टी यदि चाहे तो वह 'अपने सदस्यों' को इस कार्रवाई और भाजपा में उनके 'विलय' को चुनौती दे सकती है। पर दल–बदलुओं का अबतक का इतिहास तो यही बताता है कि भले ही उच्चतम न्यायालय दल–बदल की इस प्रक्रिया को 'संवैधानिक पाप' की संज्ञा दे दे, पर इन कथित पापियों को कोई सजा मिलती नहीं!

'दलबदलुओं' को सजा देने की कोशिशों में एक कोशिश दल–बदल के खिलाफ कानून बनाना भी था। वर्ष 1985 में देश की संसद में एक संशोधन पारित कर के दल–बदल की इस लगातार बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के लिए कदम उठाये गये। तय हुआ कि पार्टी के दो तिहाई सदस्य मिलकर यदि किसी दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं, तभी इसे 'विलय' माना जायेगा, अन्यथा ऐसा करने वाले नेता की सदस्यता निरस्त मानी जायेगी। पर पेच यह रह गया कि दो–तिहाई संख्या पार्टी की या संसदीय दल की? इसमें एक गांठ यह भी है कि विलय का निर्णय सदन का पीठासीन अधिकारी करता है। इसका मतलब यह है कि सदस्य जब चाहे सत्तारूढ़ पार्टी का 'आया राम' बन सकता है।

सवाल यह उठता है कि कोई आया राम या गया राम क्यों अपनी मूल पार्टी छोड़कर किसी अन्य पार्टी में शामिल होता है? क्या सचमुच यह कोई नीतिगत निर्णय होता है या फिर इसके पीछे राजनीतिक स्वार्थ होते हैं?

भारत के दल–बदलुओं का इतिहास बताता है कि लगभग शत प्रतिशत राजनीतिक स्वार्थ होता है। अक्सर इस आशय के आरोप भी लगते हैं कि अपने अपराधों के पाप धोने, या फिर सत्तारूढ़ दल के हितों को दृष्टि में रखकर भी 'आयाराम गयाराम' का यह खेल होता है। यह खेल खेलने वालों की आधिकारिक संख्या बतानी तो मुश्किल है, पर ज्ञात तथ्यों के अनुसार 1985 में दल–बदल विरोधी कानून लागू होने के बाद से अब तक सैकड़ों सांसद और विधायक दल–बदल चुके हैं। कहते हैं कानून बनने से पहले 1967 से 1971 के बीच लगभग 50 प्रतिशत विधायकों ने अपनी पार्टी बदली थी, इसे 'आयाराम, गयाराम' की राजनीति कहा गया।

मार्च 2024 तक की रिपोर्ट के अनुसार दसवीं अनुसूची के तहत कम से कम सात प्रमुख अवसरों पर सदस्यों पर कार्रवाई हुई है। सन 2022 में हमने महाराष्ट्र और गोवा में दल–बदल का यह 'खेला' देखा, इससे दो साल पहले मणिपुर के तीन विधायकों को अयोग्य ठहराया गया था। और अब यह आम आदमी पार्टी का मामला सामने है। निश्चित रूप से यह सारे मामले इस बात की पुष्टि करते हैं कि हमारी राजनीति में सिद्धांतों और नीतियों के लिए जगह लगातार कम होती जा रही है। कभी विधायक या सांसद अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए ऐसा कदम उठाता है और कभी राजनीतिक दल (पढ़िए सत्तारूढ़ पक्ष) अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दूसरे दलों के सदस्यों को अपने साथ जुड़ने के लिए बाध्य करता है।

एक देश, एक पाठ्यक्रमः संघीयता का संकट या शिक्षा क्रांति?

-डा. सत्यवान सौरभ-

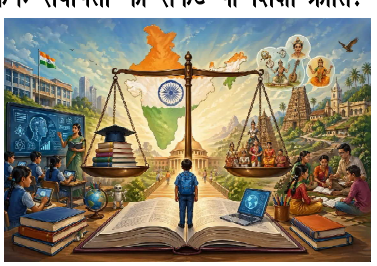

"रुकने वालों का इतिहास नहीं होता। एक देशदृएक पाठ्यक्रमश शिक्षा के नाम पर लूट का विरोध जारी रहना चाहिए।" यह वाक्य आज भारतीय शिक्षा व्यवस्था में चल रहे सबसे बड़े विमर्श को सटीक रूप से सामने रखता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (छम्च्) 2020 के अंतर्गत प्रस्तावित "एक देश, एक पाठ्यक्रम" का विचार देशभर में तीखी बहस का विषय बन चुका है। अप्रैल 2026 तक स्थिति यह है कि तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य इसे अपनी संवैधानिक स्वायत्तता पर आघात मानते हुए इसका विरोध कर रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार इसे शिक्षा में गुणवत्ता, समानता और एकरूपता स्थापित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बता रही है। ऐसे में सवाल उठता हैदृक्या यह पहल वास्तव में शिक्षा सुधार की दिशा में क्रांति है, या फिर संघीय ढांचे पर दबाव डालने का प्रयास?

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव का खाका प्रस्तुत किया। 34 वर्षों से चली आ रही 1986 की नीति को बदलते हुए यह नई संरचनाक्5334क्रूलेकर आई, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा से लेकर माध्यमिक स्तर तक शिक्षण को अधिक लचीला और समावेशी बनाया गया है। इसमें 3 से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए बुनियादी शिक्षा, 8 से 11 के लिए प्राथमिक, 11 से 14 के लिए उच्च प्राथमिक और 14 से 18 वर्ष तक के लिए माध्यमिक शिक्षा निर्धारित की गई है। मातृभाषा में शिक्षा, बहुभाषिकता, व्यावसायिक प्रशिक्षण और डिजिटल साक्षरता को इसमें प्रमुखता दी गई है।

"एक देश, एक पाठ्यक्रम" का मूल आधार राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा (छब्थ्) है, जिसका उद्देश्य पूरे देश में एक न्यूनतम शैक्षिक मानक स्थापित करना है। हालांकि इसमें 30 प्रतिशत तक लचीलापन दिया गया है ताकि राज्य अपनी सांस्कृतिक और क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार संशोधन कर सकें। लेकिन विरोध करने वाले राज्यों का मानना है कि यह लचीलापन केवल प्रतीकात्मक है और असल में यह एक केंद्रीकृत पाठ्यक्रम थोपने का प्रयास है।

संविधान के अनुसार शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, अर्थात केंद्र और राज्य दोनों की इसमें भूमिका है। ऐसे में राज्यों का आरोप है कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओंकृजैसे समग्र शिक्षा अभियानकृके तहत मिलने वाले फंड को रोककर दबाव बना रही है। तमिलनाडु इसका प्रमुख उदाहरण है, जहां हजारों करोड़ रुपये की राशि रोकी गई। राज्य सरकार ने इसे अपनी नीतिगत स्वतंत्रता पर हमला बताते हुए इसका विरोध किया।

इस विवाद का एक बड़ा पहलू भाषाई और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा हुआ है। दक्षिण भारत के कई राज्य हिंदी को "थोपे जाने वाली भाषा" के रूप में देखते हैं, जबकि केंद्र का कहना है कि त्रि–भाषा सूत्र में किसी एक भाषा को अनिवार्य नहीं किया गया है। इसके बावजूद यह आशंका बनी हुई है कि एक समान पाठ्यक्रम से क्षेत्रीय भाषाओं और साहित्य की उपेक्षा होगी। उदाहरण के तौर पर, तमिलनाडु की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत या बंगाल का साहित्यिक योगदान एक मानकीकृत पाठ्यक्रम में सीमित हो सकता है।

केंद्र सरकार का तर्क है कि यह नीति शिक्षा में असमानताओं को कम करेगी। वर्तमान में भारत की शिक्षा व्यवस्था में भारी अंतर दिखाई देता हैकृजहां एक ओर निजी स्कूलों में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिलती है, वहीं सरकारी स्कूलों में संसाधनों की कमी के कारण परिणाम कमजोर रहते हैं। "एक देश, एक पाठ्यक्रम" के माध्यम से एक समान गुणवत्ता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि देश के हर बच्चे को समान अवसर मिल सके।

इसके साथ ही, यह नीति कौशल–आधारित शिक्षा पर जोर देती है। कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस जैसे विषयों को प्रारंभिक स्तर से जोड़ने का प्रस्ताव है, जो भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखता है। यह पहल भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

हालांकि आलोचक इसे "शिक्षा के नाम पर लूट" भी करार देते हैं। उनका कहना है कि इससे शिक्षा का निजीकरण बढ़ेगा और कोचिंग उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। कोटा जैसे शहरों में पहले से ही कोचिंग का बड़ा बाजार है, और एक समान परीक्षा प्रणाली (जैसे छम्म्ज्) इसे और मजबूत कर सकती है। वहीं, केंद्र का मानना है कि एकीकृत प्रवेश परीक्षा पारदर्शिता बढ़ाएगी और भ्रष्टाचार को कम करेगी। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो भारत में शिक्षा सुधार हमेशा विवादों के साथ जुड़े रहे हैं। अंग्रेजों के समय मैकाले की शिक्षा नीति से लेकर कोठारी आयोग तक, हर बदलाव ने बहस को जन्म दिया। लेकिन यह भी सच है कि बिना सुधार के प्रगति संभव नहीं है।

अंतरराष्ट्रीय उदाहरणों से भी यह स्पष्ट होता है कि एकरूपता और विकेंद्रीकरण दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। फिनलैंड जैसे देशों ने एक समान शिक्षा प्रणाली अपनाकर उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त किए हैं, जबकि अमेरिका जैसे देशों में विकेंद्रीकृत प्रणाली के कारण असमानता बनी हुई है। भारत को अपनी विविधता और जनसंख्या के अनुरूप संतुलित मॉडल अपनाना होगा। राजनीतिक स्तर पर यह मुद्दा अब केवल शिक्षा तक सीमित नहीं रह गया है। यह केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन का प्रश्न बन गया है। जहां एक ओर कुछ राज्य इसे अपनाकर आगे बढ़ रहे हैं, वहीं अन्य राज्य इसे अपने अधिकारों की रक्षा के लिए चुनौती दे रहे हैं।

अनियंत्रित कार पेड़ से टकराई तीन की मौत, दो गंभीर घायल

संवाददाता–देवरिया। सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई। इस घटना में दो अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। जानकारी के अनुसार, स्विफ्ट डिजायर कार में सवार लोग बिहार से देवरिया के एक गांव में बारात में शामिल होने जा रहे थे। हाजी मार्केट मोड़ के पास तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार कई लोग अंदर फंस गए। स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी और कटर मशीन की सहायता से क्षतिग्रस्त कार को हटाया और फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला। घायलों को तुरंत एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पथरदेवा भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने तीन लोगों को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल दो अन्य व्यक्तियों को बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल देवरिया रेफर किया गया है। मृतकों में से एक की पहचान करण कुशवाहा पुत्र राजकुमार, निवासी रूपही, थाना बीटहां, जिला चंपारण (बिहार) के रूप में हुई है। अन्य दो मृतकों और घायलों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है।

स्थानीय लोगों के अनुसार, घायल कुशीनगर जनपद के निवासी बताए जा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार अत्यधिक तेज गति में थी। सेमरी मोड़ के पास एक मोटरसाइकिल सवार बाल–बाल बचा था, जिसके कुछ ही दूरी पर चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया और कार सीधे पेड़ से जा टकराई। प्रभारी एसएसआई अरविंद यादव ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई थी। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मृतकों की पहचान कराने और हादसे के कारणों की जांच कर रही है। सड़क हादसे में जान गंवाने वाला अमित कुशवाहा (14) पुत्र बालेश्वर कुशवाहा अपने भाई–बहनों में सबसे बड़ा था। वह रिश्तेदारी में बहन की शादी में शामिल होने के लिए देवरिया आया हुआ था। परिवार में उसकी मां रेखा देवी, भाई सुमित तथा बहनें सलोनी और झांती हैं। अमित की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। मां रेखा देवी का रो–रोकर बुरा हाल है। शादी की खुशियां पलभर में मातम में बदल गईं। तीन बहनों का इकलौता भाई था करन करन कुशवाहा (17) पश्चिमी चंपारण, बिहार के थाना क्षेत्र के रुपए गांव का रहने वाला था। करण अपने तीन बहनों का इकलौता भाई था। उसकी असमय मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे पिता राजकुमार ने बताया कि करन इस साल हाईस्कूल (दसवीं) की परीक्षा देने वाला था। वह पढ़ाई के साथ परिवार की उम्मीदों का केंद्र था। परिवार में मां सरिता देवी, बड़ी बहन अंजलि और छोटी बहनें अनीशा व अमृता हैं। करन की मौत की खबर मिलते ही मां और बहनों का रो–रोकर बुरा हाल हो गया।

भारतीय तैलिक साहू राठौर महासभा ने मनाई भामाशाह जयंती

संवाददाता–महराजगंज। भारतीय तैलिक साहू राठौर महासभा द्वारा दानवीर भामाशाह की जयंती मनाई गई। यह कार्यक्रम चिऊरहा स्थित एसएसबी कैंप के सामने रामसागर गुप्ता के आवास पर आयोजित किया गया। गढ़ीरा (लखनऊ) के उपनिरीक्षक अजीत कुमार गुप्ता मुख्य अतिथि रहे।

कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष रामसेवक साहू ने की, जबकि जिला महासचिव गोविंद गुप्ता ने इसका संचालन किया। इस अवसर पर साहू समाज के कई गणमान्य व्यक्ति और सदस्य उपस्थित रहे। जिलाध्यक्ष रामसेवक साहू ने दानवीर भामाशाह के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि उनका जन्म 29 अप्रैल 1547 को राजस्थान में एक वैश्य परिवार में हुआ था। उनके पिता भारमल जी एक किलेदार थे। भामाशाह महाराणा प्रताप के करीबी मित्र और सलाहकार थे, जिन्होंने मुगलों के साथ युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप पर आए संकट के समय अपनी संपूर्ण संपत्ति अखंड भारत की स्थापना के लिए दान कर दी थी। मुख्य अतिथि अजीत कुमार गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि हमें भी भामाशाह के आदर्शों का पालन करते हुए समाज और देश हित में कार्य करना चाहिए। उन्होंने भामाशाह के अच्छे विचारों को अपनाते हुए आत्म–सम्मान बनाए रखने पर जोर दिया। विशिष्ट अतिथि नागेंद्र गुप्ता ने समाज के उत्थान और शिक्षा के लिए भामाशाह बनने की आवश्यकता पर बल दिया। जिला संयोजक लालजी गुप्ता ने दानवीर भामाशाह के दृढ़ कार्यों की सराहना की। जिला कोषाध्यक्ष अनिल कुमार गुप्ता (एडवोकेट) ने घोषणा की कि अगले वर्ष जयंती को और भी धूमधाम से मनाया जाएगा। वक्ताओं में सोहनलाल गुप्ता, रामसेवक गुप्ता, नीरज गुप्ता, चंद्रशेखर साहू, पूर्व जिलाध्यक्ष जवाहरलाल साहू, शैलेश गुप्ता, मनोज गुप्ता, गोरख गुप्ता और सर्वेश गुप्ता शामिल थे। बैठक में विष्णुदयाल गुप्ता, रामराज गुप्ता, राममिलन गुप्ता, रामभवन, छोटेलाल, दीनानाथ, संत कुमार, ज्ञानचंद गुप्ता, अखिलेश, उमेश, रामसागर गुप्ता, शैलेश गुप्ता, गोवर्धन गुप्ता, राजेश, चुल्हाई, राजूकुमार, मनोज, रामानंद, अरुण, कृष्ण मुरारी, हीरालाल साहू, जगदीश, दीपक, विजय गुप्ता, सुरेश, सुखसागर, भूपति गुप्ता,सहित साहू समाज के कई लोग उपस्थित रहे।

22 मई से शुरू होगा हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन

संवाददाता–देवरिया। जनगणना–2027 के प्रथम चरण के लिए प्रगणकों और सुपरवाइजरों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण बुधवार को संपन्न हो गया। रैनाथ ब्रह्मदेव महाविद्यालय में आयोजित इस तीसरे बैच के प्रशिक्षण में कुल 325 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसका मुख्य उद्देश्य हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन की तैयारियों को मजबूत करना था, जो 22 मई से शुरू होगा।

प्रशिक्षण सत्र सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक चला। इसमें प्रतिभागियों को केवल सैद्धांतिक ज्ञान ही नहीं, बल्कि रोल प्ले और एचएलओ (हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन) ऐप के जरिए व्यावहारिक अनुभव भी दिया गया। वास्तविक फील्ड सर्वे की तर्ज पर कक्षा में मॉक सर्वे आयोजित किया गया, जिससे उन्हें घर–घर जाकर सर्वेक्षण करने की प्रक्रिया को गहराई से समझने में मदद मिली। रोल प्ले के दौरान, ट्रेनरों ने संगणक और सुपरवाइजर की भूमिका निभाते हुए हाउस लिस्टिंग की प्रक्रिया समझाई। उन्होंने परिवारों से जानकारी एकत्र करने के तरीके और एचएलओ ऐप पर डेटा प्रविष्टि की प्रक्रिया का विस्तार से प्रदर्शन किया। इस अभ्यास से प्रतिभागियों को फील्ड में आने वाली संभावित चुनौतियों और उनके समाधान के बारे में भी बताया गया।

मास्टर ट्रेनर डॉ. गोविंद मिश्रा, शिशिर कुमार राय, मुकेश यादव, अरविंद कश्यप और मयंक पांडेय ने प्रशिक्षण के तकनीकी और व्यावहारिक पहलुओं पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने प्रतिभागियों की सभी शंकाओं का मौके पर ही समाधान किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी अनुज कुमार, अतुल कुमार, जितेंद्र कुमार और सुनील भाटिया ने संभाली। इस अवसर पर सौम्या मिश्रा, सर्वेश यादव, जावेद अंसारी और रमेश तिवारी सहित अन्य कर्मचारी भी उपस्थित थे। प्रशिक्षण के समापन पर, सभी ट्रेनरों को जनगणना के दायित्वों का निष्ठा, ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करने की शपथ दिलाई गई। जिले में हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन 22 मई से शुरू होगा।

ग्रामीणों ने चंदा जुटाकर खुद कराई गंदगी से पटी नालियों व सड़कों की सफाई

संवाददाता–महराजगंज। नौतनवा ब्लाक क्षेत्र के ग्राम पंचायत सेवतरी में ब्लॉक प्रशासन की उदासीनता और प्रशासनिक लापरवाही का आलम यह है कि सफाई कर्मचारी की तैनाती न होने से नाराज ग्रामीणों ने अब खुद ही सफाई का मोर्चा संभाल लिया है। गंदगी से पटे गांव को बीमारियों की चपेट से बचाने के लिए ग्रामीणों ने आपसी चंदा जुटाया और दिहाड़ी पर मजदूर लगाकर नालियों की साफ–सफाई करवाई ।ग्रामीण रामजी वर्मा, विजय पटवा, मंगरू वर्मा, अनिल पटवा, राजू, संजय समेत अन्य ग्रामीणों का कहना है कि इस संबंध में कई बार ब्लॉक मुख्यालय को अवगत कराया गया और सफाई कर्मचारी की मांग की गई, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी।

ब्लॉक प्रशासन की इसी हठधर्मिता और टालमटोल वाले रवैये ने ग्रामीणों को यह कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। स्थानीय निवासियों ने तीखे लहजे में कहा कि जब हमें खुद ही पैसे इकट्ठा करके सफाई करानी है तो सफाई के नाम पर आने वाला सरकारी बजट आखिर कहां जा रहा है? ऐसे में जब गांव के सफाई की जिम्मेदारी ग्रामीण ही उठाएंगे तो ब्लॉक में बैठे अधिकारियों और भारी–भरकम वेतन पाने वाले कर्मचारियों की क्या जरूरत है? ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही गांव में नियमित सफाई कर्मचारी की स्थाई नियुक्ति नहीं की गई तो ग्रामीण इस प्रशासनिक संवेदनहीनता के खिलाफ तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे।

पूर्व विधायक अमन मणि त्रिपाठी ने प्रशासन को दी आंदोलन की चेतावनी

संवाददाता–महराजगंज। नौतनवा तहसील में बुधवार को प्रशासनिक अधिकारियों और पूर्व विधायक अमन मणि त्रिपाठी के बीच हुई बैठक बेनतीजा रही। करीब ढाई घंटे चली इस वार्ता के बाद पूर्व विधायक ने 20 सूत्रीय मांगों को लेकर गुरुवार से धरना–प्रदर्शन शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने 30 अप्रैल से आमरण अनशन की भी चेतावनी दी है। बैठक में अपर जिलाधिकारी (एडीएम) डॉ. प्रशांत कुमार और अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) सिद्धार्थ ने आंदोलन से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। सुबह करीब 11रू40 बजे एडीएम और एएसपी तहसील पहुंचे और एसडीएम कार्यालय में पूर्व विधायक से वार्ता की। इस दौरान पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रहलाद प्रसाद सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे।

प्रशासन को पहले ही 20 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा जा चुका है। इसमें 29 अप्रैल तक कार्रवाई की मांग की गई थी। मांगें पूरी न होने की स्थिति में 30 अप्रैल से तहसील परिसर में धरना–प्रदर्शन और आमरण अनशन की चेतावनी दी गई है। ज्ञापन में तहसील क्षेत्र में भूमाफियाओं के बढ़ते प्रभाव, सीलिंग व ग्राम सभा की जमीनों पर अवैध कब्जा, फर्जी स्टे के आधार पर अतिक्रमण और प्रशासनिक निष्क्रियता जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त, दलित महिला के साथ अभद्रता, भ्रष्टाचार, फर्जी भुगतान, मतदाता सूची में गड़बड़ी, बेनामी संपत्ति और गरीबों को पट्टा न मिलने जैसे मुद्दे भी शामिल हैं।

पूर्व विधायक अमन मणि त्रिपाठी ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो 30 अप्रैल से बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। एडीएम डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि वार्ता में कोई निष्कर्ष नहीं निकला, हालांकि प्रशासन ने सभी बिंदुओं को गंभीरता से सुना है।

बैठक में उप जिलाधिकारी (एसडीएम) नवीन प्रसाद, नायब तहसीलदार सौरभ श्रीवास्तव, क्षेत्राधिकारी (सीओ) अनिरुद्ध पटेल और थानाध्यक्ष पुरुषोत्तम राव सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

बाढ़ तैयारियों की समीक्षा, डीएम सख्तः लापरवाही पर होगी कार्रवाई, सभी विभागों को कड़े निर्देश दिए

संवाददाता–देवरिया। बुधवार को जिला बाढ़ स्टीयरिंग ग्रुप ने बाढ़ पूर्व तैयारियों की गहन समीक्षा की। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने सभी विभागों को समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि बाढ़ निरोधी कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिम्मेदारी तय कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने बाढ़ तटबंधों की लगातार निगरानी सुनिश्चित करने, रेनकट और बंधों में शाही होल जैसी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर ठीक कराने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिशासी अभियंता (बाढ़) को बोल्डर, जियोबैग और अन्य आवश्यक सामग्रियों की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने को कहा। नाव, नाविक और गोताखोरों की पहचान कर उन्हें हर परिस्थिति के लिए तैयार रखने तथा उनके भुगतान में देरी न होने पर भी विशेष जोर दिया गया।

डीएम ने उप जिलाधिकारियों को अपने–अपने क्षेत्रों के तटबंधों और संवेदनशील स्थलों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया। साथ ही, राहत शिविरों को चिन्हित कर बाढ़ नियंत्रण कक्षों को अभी से सक्रिय रखने और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने के लिए भी कहा गया। पेयजल व्यवस्था के संबंध में, जिला पंचायत राज अधिकारी को सभी हैंडपंपों की जांच कर खराब हैंडपंपों की मरम्मत कराने और उथले हैंडपंपों पर लाल निशान लगाने का निर्देश दिया गया, ताकि लोग दूषित पानी का उपयोग न करें। पशुओं के चारे, भूसा और साइलेज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया।

स्वास्थ्य विभाग को संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं और टीकाकरण योग्य बच्चों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त, आवश्यक दवाएं, एंटी स्नेक वेनम और मेडिकल टीम की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा लाइफ जैकेट और राहत सामग्री पर्याप्त मात्रा में रखने को भी कहा गया। पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर ने बाढ़ के दौरान तटबंधों की सुरक्षा और पुलिस विभाग की तैयारियों के बारे में जानकारी दी। अधिशासी अभियंता (बाढ़) राधे श्याम प्रसाद ने बताया कि जनपद में 12 नई बाढ़ निरोधी कार्य परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है, जिन्हें 15 जून 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि जिले में कुल 40 तटबंध हैं, जिनकी कुल लंबाई 241.048 किलोमीटर है। इसके अलावा, 56 ड्रेन (कुल लंबाई 734.78 किलोमीटर) और 27 रेगुलेटर भी संचालित हैं।

डीएम ने निर्धारित दुकानों से पुस्तकें, कॉपियों, यूनिफॉर्म खरीदने के दबाव बनाने पर कार्रवाई के दिये निर्देश

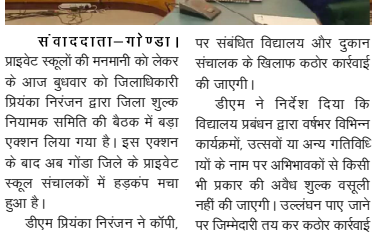

संवाददाता–गोण्डा। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को लेकर के आज बुधवार को जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन द्वारा जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक में बड़ा एक्शन लिया गया है। इस एक्शन के बाद अब गोंडा जिले के प्राइवेट स्कूल संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है।

डीएम प्रियंका निरंजन ने कॉपी, किताब और यूनिफॉर्म की खरीदारी को लेकर मिल रही शिकायतों का संज्ञान लिया। बैठक में जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिए कि विद्यालय प्रबंधन छात्रों और अभिभावकों पर किसी निश्चित दुकान से पुस्तकें, कॉपियां या यूनिफॉर्म खरीदने का दबाव नहीं बनाएगा। शिकायत मिलने पर संबंधित विद्यालय और दुकान संचालक के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

डीएम ने निर्देश दिया कि विद्यालय प्रबंधन द्वारा वर्षभर विभिन्न कार्यक्रमों, उत्सवों या अन्य गतिविधियों के नाम पर अभिभावकों से किसी भी प्रकार की अवैध शुल्क वसूली नहीं की जाएगी। उल्लंघन पाए जाने पर जिम्मेदारी तय कर कठोर कार्रवाई होगी।

इसके अतिरिक्त, जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि विद्यालय प्रबंधन को छात्रों और अभिभावकों से वर्षभर में लिए जाने वाले सभी शुल्कों की रसीद देनी होगी। रसीद न देने वाले विद्यालयों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने कहा कि ष्यह सभी चीजें अवैध हैं जो आप लोग नियम लगा देते हैं कि इस दुकान से लेना है, इस दुकान से लेना है।

इस तरीके से अब गोंडा में नहीं चलेगा। उन्होंने प्रत्येक वर्ष अनावश्यक रूप से यूनिफॉर्म, पुस्तक और कॉपियां बदलने की प्रवृत्ति पर भी रोक लगाने का निर्देश दिया। ऐसा करना अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालता है, जो स्वीकार्य नहीं है। इन सभी निर्देशों का उल्लंघन करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने बैठक के दौरान यह भी निर्देश दिया कि सभी विकासखंडवार विद्यालयों के लिए नोडल अधिकारी नामित कर जांच कराई जाएगी। दरअसल, गोंडा में राष्ट्रीय छात्र पंचायत द्वारा लगातार इसका विरोध किया जा रहा था, जिसका अब असर दिखा है। राष्ट्रीय छात्र पंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवम पांडेय ने जिलाधिकारी को धन्यवाद दिया है। इन्होंने कहा कि जो एक्शन बैठक में लिया गया है उसका असर धरातल पर दिखाई देना चाहिए तभी माना जाएगा।

जेसीबी पर चढ़कर हुआ मटकोड़वा, दुल्हन ने मां–बुआ भाईयों के संग किया जमकर डांस

संवाददाता–देवरिया। बदलते जमाने के साथ शादी की रस्में भी नया रंग ले रही हैं। देवरिया जनपद के खुखुंदू थाना क्षेत्र के खखड़ी गांव में सुरेंद्र राजभर की बेटी की बुधवार को बारात आनी है,जिसके मटकोड़वा की रस्म में हाथी–घोड़े के साथ जेसीबी आकर्षण का केंद्र बन गई। दुल्हन रागनी राजभर अपनी मां सुदात्री देवी, बुआ फुलमती, भाई भूषण, सुशांत, पीयूष, नितेश,भाभी रितू व निलम व भतीजे बिराट, मानविक,भतिजी सानवी सहित पूरे परिवार के साथ जेसीबी पर चढ़कर मटकोड़वा के लिए निकली। इस दौरान गाजे–बाजे की धुन पर जमकर डांस हुआ। मटकोड़वा रस्म में परंपरागत रूप से महिलाएं जाती है लेकिन यहां परिवार ने हटकर फैसला लिया, दूल्हे पक्ष की ओर से मंगाई गई सजी हुई जेसीबी पर दुल्हन को उसकी मां, बुआ और अन्य महिलाओं के साथ बिठाया गया। जेसीबी को फूल–माला चढ़ाया गया इसके बाद वह दुल्हन का रथ बना। ढोल–नगाड़ों और डीजे की धुन के बीच जेसीबी धीरे–धीरे गुजरी, इस दौरान दुल्हन और घर की अन्य महिलाओं ने जेसीबी पर जमकर ठुमके लगाए। मटकोड़वा देखने के लिए पूरे गांव की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान लोगों ने मोबाइल से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिए, जो अब वायरल हो रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि पहली बार ऐसी मटकोड़वा देखी है। परिजनों ने बताया कि चार भाइयों ने अपनी एकलौती बहन की शादी में चार–चार लगाने के लिए अनोखी अनोखी परंपरा निभा रहे हैं, इसलिए जेसीबी मंगवाई गई,परंपरा और आधुनिकता के इस संगम की इलाके में खूब चर्चा हो रही है। बुजुर्गों ने भी इस नए अंदाज को खूब सराहा।

कार्यालय ग्राम सुकरौली चौधरी वि.खं. हरैया, जिला–बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **सुकरौली चौधरी** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि / अन्त्येष्टि स्थल का विकास/ मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैंड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प सम्मत व रिबोर से जुड़े सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **सुकरौली चौधरी** के निविदा बाक्स में दिनांक 08–05–2026 तक अपरान्ह 11:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 12:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहर धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 01–05–2026 से दिनांक 07–05–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **सुकरौली चौधरी** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओं की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **सुकरौली चौधरी** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई दुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **सुकरौली चौधरी** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू० है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री / उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्तें व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(रामधनी शर्मा) प्रधान ग्राम पंचायत–**सुकरौली चौधरी**
(रामजस) सचिव ग्राम पंचायत–**सुकरौली चौधरी**

कार्यालय ग्राम पिकौरा वि.खं. हरैया, जिला–बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **पिकौरा** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि / अन्त्येष्टि स्थल का विकास/ मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैंड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प सम्मत व रिबोर से जुड़े सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **पिकौरा** के निविदा बाक्स में दिनांक 08–05–2026 तक अपरान्ह 01:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 03:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहर धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 01–05–2026 से दिनांक 07–05–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **पिकौरा** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओं की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **पिकौरा** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई दुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **पिकौरा** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू० है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री / उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्तें व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(सरिता देवी) प्रधान ग्राम पंचायत–**पिकौरा**
(रामजस) सचिव ग्राम पंचायत–**पिकौरा**

दो लुटेरों की पुलिस से मुठभेड़, दोनों घायल, हथियार और लूटे गए जेवर बरामद

संवाददाता—गोरखपुर। गोला कस्बा स्थित सर्राफा दुकान में हुई लूट की घटना का पुलिस ने बुधवार तड़के मुठभेड़ के बाद खुलासा कर दिया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में दो बदमाशों के पैर में गोली लगी, जबकि उनके तीन अन्य साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। घायल बदमाशों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस के अनुसार, बुधवार सुबह करीब पांच बजे हरपुर धुरियापार चीनी मिल के पास स्थित पावर हाउस के पास गश्त के दौरान दो बाइक पर सवार पांच संदिग्ध युवक आते दिखे। रोकने का इशारा करने पर बदमाश पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने लगे। जवाबी कार्रवाई में घेराबंदी कर पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें मेंहदी हसन (पुत्र सलीम) के बाएं पैर और रेहान (पुत्र यूसुफ) के दाएं पैर में गोली लगी। दोनों आरोपी सहारनपुर के देवबंद कस्बे के निवासी बताए गए हैं। घटना में शामिल अन्य तीन आरोपियों, सागीर अली (पुत्र जाकिर), मुस्तफा (पुत्र शाकिर हुसैन) निवासी देवबंद तथा अफजल अली (पुत्र यूसुफ अली) निवासी मुजफ्फरपुरक को भी मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक, इन बदमाशों द्वारा की गई लूट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। पुलिस ने बताया कि मुठभेड़ में घायल बदमाशों के पास से दो 315 बोर के तमंचे, दो जिंदा कारतूस, दो खोखा कारतूस, नगदी तथा लूटे गए चार जोड़ी जेवर बरामद किए गए हैं।

पूछताछ में सामने आया कि आरोपी चश्मा बेचने के बहाने गली–गली घूमकर पहले रेकी करते थे। इसके बाद बाइक की नंबर प्लेट बदलकर वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस के अनुसार, ये लोग तीन दिन पहले ही देवरिया आए थे और गोला लूट कांड में पांच आरोपी शामिल थे। गिरफ्तार बदमाशों में रेहान का आपराधिक इतिहास सामने आया है। वह पहले भी कई घटनाओं में शामिल रह चुका है और जेल जा चुका है, जबकि अन्य आरोपियों को पहली बार पकड़ा गया है। इस कार्रवाई में क्षेत्राधिकारी दरवेश कुमार, थाना प्रभारी राकेश रोशन सिंह, एसआई राकेश सिंह, आशीष यादव, विवेक सिंह, जितेंद्र कुमार, आनंद कुमार, राजेंद्र सिंह सहित कांस्टेबल सद्दाम हुसैन, साहिल, कमलेश यादव, विजय पासवान, अशोक कुमार और अमित यादव शामिल रहे।

झंगहा में मिट्टी लदी ट्राली ने बीएसएफ जवान को रौंदा, मौत

संवाददाता—गोरखपुर। झंगहा थानाक्षेत्र के बेलवा निवासी बीएसएफ जवान पवन कुमार (30) को बुधवार की सुबह एक मिट्टी लदी ट्राली ने रौंद दिया। बीएसएफ जवान को गम्भीरावस्था में एम्स में ले जाया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बीएसएफ जवान को परिजन लेकर सीएचसी चौरीचौरा ले गए थे। सीएचसी में उसकी स्थिति गंभीर देख कर उसे एम्स के लिए रेफर किया था। पवन कुमार असम में तैनात है। वह अपने गांव छुट्टी में आया था। वह किसी काम से अपने बाइक से चौरीचौरा जा रहा था। झंगहा क्षेत्र के परसौनी चौराहे के पास लार्ड बुद्धा स्कूल के पास मिट्टी लदी टैक्टर ट्राली के चपेट में आ गया। वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। मौके पर ग्रामीणों ने घायल जवान के परिजनों को सूचना दी। मौत की सूचना पर परिवार में कोहराम मच गया। वह एक पुत्र और एक पुत्री का पिता था। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्राली, चालक को अपने कब्जे में ले लिया है।

सपा पार्षदों का प्रदर्शन, महिला आरक्षण कानून 2023 अविलम्ब लागू करने की मांग

संवाददाता—गोरखपुर। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन और परिसीमन बिल 2026 के लोकसभा में पारित न होने के विरोध में नगर निगम के भाजपा पार्षदों के निंदा प्रस्ताव के खिलाफ समाजवादी पार्टी के पार्षदों ने बुधवार को नगर निगम सदन कक्ष में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने निगम सदन कक्ष में महापौर की कुर्सी के समक्ष टेबल पर महापौर को संबोधित अपना ज्ञापन चस्पा कर दिया। एक प्रति अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्र के जरिए महापौर डॉ. मंगलेश कुमार श्रीवास्तव को प्रेषित की। वरिष्ठ पार्षद जियाउल इस्लाम ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने देश के स्थानीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण दिया, जिसके कारण नगर निगम में दो महिला महापौर हो चुकी है। बड़ी संख्या में पिछड़ी, दलित और सामान्य वर्ग की महिलाओं को पार्षद के रूप में नेतृत्व का मौका मिला, वे जनसेवा के क्षेत्र में योगदान दे रही हैं। पार्षद विजेन्द्र अग्रहरि, अशोक यादव, जुबेर अहमद ने कहा कि महापौर द्वारा नारी शक्ति वंदन विधेयक के संदर्भ में बुलाई गई बैठक को असंवैधानिक बताया। कहा कि जनता के कर से संचालित नगर निगम सदन का इस्तेमाल विकास कार्यों की रुपरेखा तैयार करने और जनहित की योजनाएं बनाने में इस्तेमाल किया जाना चाहिए न कि दल विशेष के हितों को साधने के लिए। तकरीबन आधा घंटे तक सपा पार्षदों एवं नेताओं ने जोरदार नारेबाजी की। पूर्व जिला अध्यक्ष नगीना साहनी, कीर्ति निधि पाण्डेय, सिंहासन सिंह यादव, पूर्व महानगर अध्यक्ष हाजी शकील अंसारी, पार्षद रमेश यादव, साहब अंसारी, विवेक मिश्रा, अभिषेक पासवान, अमीरुद्दीन अंसारी, चंद्रभान प्रजापति, वजीउल्लाह अंसारी, दीलशाद, दानिश मुस्तफा, जावेद खान, मिनहाज अंसारी, नूर मोहम्मद, पूर्व पार्षद अभिमन्यु मौर्या, संजय यादव समेत सपा के सभी पार्षद उपस्थित रहे नगर निगम सदन में नेता पार्षद दल अशोक यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी के पार्षदों ने एक स्वर में कहा कि सरकार नगर निगम सदन की बैठक में महिला संरक्षण कानून 2023 को अविलम्ब जस का तस लागू किया जाए। देश के सभी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था दी जाए। स्थानीय निकाय और पंचायतीराज व्यवस्था में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने वाली पूर्ववर्ती सरकारों के खिलाफ निगम सदन की बैठक में धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाए।

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा बनाम रेपान्डेन्ट बावत इत्तिला तारीख मुकर्ररह समायत अपील
वाद सं0–
अन्तर्गत धारा 176 जो0च0अधि0
अदालत— श्रीमान उप जिलाधिकारी न्यायिक महोदय बस्ती जिला—बस्ती
मोती आदि
बनाम
हीरा लाल आदि

ग्राम बस्ती खास तप्पा हवेली परगना बस्ती पूरब तहसील व जिला बस्ती 1. धर्मवीर उम्र 23 साल 2. अरूण उम्र 21 साल 3. उर्मिला उम्र 38 साल पुत्रगण व पुत्री रमेश निवासीगण ग्राम दक्षिण दरवाजा मौजा बस्ती खास तप्पा हवेली परगना बस्ती पूरब तहसील व जिला बस्ती

तारीख पेशी 12—05—2026

अपील बनराजी के अदालत मुकाम बस्ती
मयरिया महीना सन् 20 ई0 रेस्पान्डेन्ट

इत्तिला दी जाती है कि अपील बनराजी डिग्री इस मुकदमें में मुसम्मी ने पेश इस अदालत में दर्ज रजिस्टर हुआ और इस अदालत व तारीख 12 महीना 05 सन 2026 ई0 वास्ते जमानत तथा अपील मुकर्रर का है। अगर खुद या आपके वकील या और शख्स जो कानूनन आपकी तरफ से अपील हाजा में जबाब सवाल करने वाजिद हो हाजिर न आयेगा तो उसकी समायत और तजबीज आपकी गैर हाजिरी में एकतरफा हो जायेगी। आज बतारीख 29 माह 04 सन 2026 ई. मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के हवाले किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन बराय इनफिसाल मुकदमा
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जाप्ता 200 ई0)
वाद सं0— /2025
क0 वाद सं0—T202517140118221
धारा 116 उ0प्र0रा0सं0 2006
अदालत— श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय हरैया जिला बस्ती
श्रीमती नीतू सिंह
बनाम
मो0 क्यूम आदि

1. मो0 क्यूम 2. मो0 कलीम 3. मो0 सलीम पुत्रगण रसीद ग्राम खानकला तप्पा सिकन्दरपुर परगना अमोढ़ा तहसील हरैया जिला बस्ती
—प्रतिवादीगण प्रथम वर्ग
4. ग्राम पंचायत पूरेगंगाराम उर्फ पूरे जद्दू द्वारा प्रधान ग्राम पूरेगंगाराम तप्पा वेलवा परगना अमोढ़ा तहसील हरैया जिला—बस्ती 5. उ0प्र0 सरकार

तारीख पेशी 15—05—2026

वाजेह हो कि ने आपके नाम एक नालिस बाबत दायर की है। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 15 माह 05 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन बमुकाम असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाव दे सके या जिनको साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाव ऐसे सवालात का दे सके हाजिर हों और जबावदेही दावा कीजिए और हरगाह वही तारीख जो आपके हाजिरी के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज जो जिनको आप अपनी जबावदेही के तहत इस्तदलाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख 28 माह 04 सन 2026 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय— श्रीमान ग्राम न्यायालय हरैया बस्ती जिला—बस्ती
मूलवाद सं0—323/2023
प्रहलाद आदि
बनाम
रामलौटन आदि

2. श्रीमती किरन उम्र लगभग 50 साल पत्नी रवीन्द्र कुमार साकिन चकोही तप्पा दुबौलिया परगना अमोढ़ा तहसील हरैया जिला बस्ती 3. रामसागर उम्र लगभग 60 साल पुत्र रामदेव 4. भगोले उम्र लगभग 52 साल 5. सोमई उम्र लगभग 50 साल पुत्रगण पलई 6. किशोर उम्र लगभग 48 वर्ष 7. चैतू उम्र लगभग 51 साल पुत्रगण जगई 8. गणेश उम्र लगभग 50 साल 9. गोपाल उम्र लगभग 50 साल 10. श्रीमती उत्तमा देवी उम्र लगभग 45 साल पत्नी दुलारे साकिनान मौजा रमवापुर तप्पा दुबौलिया परगना अमोढ़ा तहसील हरैया जिला बस्ती
—प्रतिवादीगण द्वितीय वर्ग

तारीख पेशी 16—05—2026

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 16 माह 05 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाव दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाव ऐसे सवालात का दे सके हाजिर हों और जबावदेही दावा कीजिए और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज जो जिनको आप अपनी जबावदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हो पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

—द0 हाकिम

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा बनाम रेपान्डेन्ट बावत इत्तिला तारीख मुकर्ररह समायत अपील
नि0 सं0— C202517000000243
अदालत— श्रीमान अपर आयुक्त (प्रशासन) बस्ती मण्डल महोदय बस्ती जिला—बस्ती
ज्वाला प्रसाद आदि
बनाम
बिनय कुमार दूबे आदि

1. बिनय कुमार दूबे पुत्र ज्वाला प्रसाद ग्राम सोहिला तप्पा बड़गोपगार परगना महुली पश्चिम तहसील व जिला बस्ती हाल मुकाम महरीखावा हुण्डई एजेन्सी के पीछे गांधी नगर बस्ती —उत्तरवादी प्रथम वर्ग
2. अधिशासी अभियन्ता सरजू नहर खण्ड बस्ती —उत्तरवादी द्वितीय वर्ग
3. रामचरन पुत्र रामसहाय 4. सन्तराम 5. महेन्द्र 6. लवकुश पुत्रगण रामफेर 7. प्रहलाद 8. इन्द्रमणि पुत्रगण राम उजागिर 9. रामस्वरथ पुत्र गनेश साकिनान सोहिला तप्पा बड़गोपगार परगना महुली पश्चिम तहसील व जिला बस्ती —उत्तरवादी चतुर्थ वर्ग

तारीख पेशी 14—05—2026

अपील बनराजी के अदालत मुकाम बस्ती
मयरिया महीना सन् 20 ई0 रेस्पान्डेन्ट

इत्तिला दी जाती है कि अपील बनराजी डिग्री इस मुकदमें में मुसम्मी ने पेश इस अदालत में दर्ज रजिस्टर हुआ और इस अदालत व तारीख 14 महीना 05 सन 2026 ई0 वास्ते जमानत तथा अपील मुकर्रर का है। अगर खुद या आपके वकील या और शख्स जो कानूनन आपकी तरफ से अपील हाजा में जबाब सवाल करने वाजिद हो हाजिर न आयेगा तो उसकी समायत और तजबीज आपकी गैर हाजिरी में एकतरफा हो जायेगी। आज बतारीख 29 माह 04 सन 2026 ई. मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के हवाले किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा दरख्वास्त हुसूल हुक्म मुशहर मन्सूखी डिसमिसी नालिश
(आर्डर 9 कायदा 9) (2)
अदालत—श्रीमान सिविल जज (सी0डि0) बस्ती जिला—बस्ती
प्रकीर्णवाद सं0— 71/2025
मूलवाद सं0—362/1995
(राममिलन आदि बनाम मोहितराम आदि)
मोहितराम
बनाम
राममिलन आदि

1. राममिलन उम्र लगभग 65 वर्ष पुत्र पल्टू 2. रामदीन उम्र लगभग 75 वर्ष पुत्र बलिराज निवासीगण ग्राम रानीपुर तप्पा पुरैना परगना अमोढ़ा तहसील हरैया जिला बस्ती 5/3 सुनीता उम्र लगभग 40 वर्ष पुत्री बाबूलाल निवासीगण ग्राम भीटी मिश्र तप्पा पुरैना परगना अमोढ़ा तहसील हरैया जिला बस्ती

तारीख पेशी 15—05—2026

हरगाह मुद्दई मजकूरूसदर ने इस अदालत में दरख्वास्त हुकूम मुशहर मन्सूखी डिसमिसी नालिश नाबुदा हस्ब हिदायत अदालत हाजा बतारीख माह सन ई0 पेश को है।

लिहाजा आपको इत्तिला दी जाती है कि आप इस अदालत में बतारीख 15 माह 05 सन 2026 या असालतन या बजरिये वकील अदालत हाजा या मुख्तार मजाज हस्ब जाप्ता और वाकिफ हाल मुकदमा में हाजिर होकर वजह (अगर कोई हो) जाहिर करें कि नाबुर्दा की दरख्वास्त क्यों न मन्जूर किया जाय।

मेरे दस्तखत और मुहर अदालत से आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

प्रारूप 7
(देखे नियम—11 (1)
घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा—12 (1) के अधीन हाजिर होने के लिए सूचना
अदालत—श्रीमान जे0एम0/ एफ0 टी0 सी0 (सी0ए0डब्लू0) महोदय बस्ती जिला—बस्ती
घरेलू हिंसा परिवाद वाद सं0 419/2025
थाना—
जिला—संतकबीरनगर
साक्षी शुक्ला
बनाम
अरूण शुक्ल आदि

1— अरूण शुक्ल उम्र लगभग 30 वर्ष पुत्र जनार्दन शुक्ल 2— अखिलेश शुक्ल उम्र लगभग 25 वर्ष पुत्र जनार्दन शुक्ल 3. श्रीमती चन्द्रमुखी शुक्ल उम्र लगभग 25 वर्ष पत्नी अखिलेश शुक्ल 4. जनार्दन शुक्ल उम्र लगभग 54 वर्ष पुत्र नामालूम निवासीगण ग्राम जिगिना पोस्ट जिगिना तप्पा सिरसी परगना महुली पूरब थाना धनघटा जिला संतकबीर नगर उ0प्र0 —विपक्षीगण

तारीख पेशी 15—05—2026

याची ने घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (2005 का 43) की धारा— 12 के अधीन आवेदन फाइल किया है/किये है। आपको यह कारण बताने के लिए कि क्यों न आवेदक द्वारा मांगे गये (अनुतोषों) को आपके विरूद्ध प्रदान कर दिया जाय व्यक्तिगत रूप से या सम्यक रूप से प्राधिकृत काउन्सेल के मार्फत तारीख 15 मास 05 सन् 2026 को बजे पूर्वाह्न/अपरान्ह में इस न्यायालय के समक्ष हाजिर होने का निर्देश दिया जाता है। इसमे असफल होने पर न्यायालय एक पक्षीय कार्यवाही करेगा। मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा के अधीन तारीख को दी गयी।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

वाद के निपटारे के लिये सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5 व्या0प्र0 संहिता 1908)
मूलवाद संख्या 226/ 2024
न्यायालय— श्रीमान सिविल जज (सी0डि0) स्थान—सिद्धार्थनगर जिला— सिद्धार्थनगर
नियाज अहमद
बनाम
हसरून आदि

1. हसरून वालिग पत्नी स्व0 मुख्तार अहमद 2. निसार अहमद वालिग 3. इरशाद अहमद वालिग पुत्रगण स्व0 मुख्तार अहमद समस्त निवासीगण ग्राम परसाखुर्द टोला भटपुरवा तप्पा घोसियारी परगना तहसील बांसी जिला सिद्धार्थनगर

तारीख पेशी 27—05—2026

प्रतिवादी ने आपके विरूद्ध दावा मन्सूखी के लिये वाद संस्थित किया है। आपको इस न्यायालय में दिनांक 27—05—2026 को दिन में 10 बजे वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये समन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे अधिवक्ता प्लीडर द्वारा उप संजात हो सकते हैं। जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हों और जो बात से सम्बंधित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके न्यायालय में आपके उप संजात के लिये जो दिन नियत किया गया है वह इस वाद के अंतिम निपटारे के लिये नियत दिन है। इसलिये आपको उस दिन अपने उन सब साक्षियों को या उन सब दस्तावेजों को पेश करने के लिये तैयार रहना चाहिये जिन पर आप अपनी प्रतिरक्षा के लिये निर्भर रहना चाहते हैं।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि अगर ऊपर बतायी गयी तारीख को आप इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।

यह आज तारीख 27.04. 2026 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

न्यायाधीश

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय— श्रीमान उप जिलाधिकारी बस्ती जिला—बस्ती
वाद सं0— /2025
धारा 35
सावित्री देवी
बनाम
सरकार उ0प्र0 आदि

1. सरकार उ0प्र0 जरिये जिलाधिकारी बस्ती 2. रामकुमारी पुत्री गौरीलाल पत्नी राजू निवासी साकिन नगर बाजार तहसील व जिला बस्ती 3. हरिशंकर पुत्र गौरीलाल साकिन नगर खास नगर बाजार तप्पा हवेली परगना नगर पूरब तहसील व जिला बस्ती 4. शिवराम गुप्ता पुत्र मायाराम साकिन कटरा न्याय मार्ग पोस्ट गांधीनगर तहसील व जिला बस्ती

तारीख पेशी 05—05—2026

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 05 माह 05 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाव दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाव ऐसे सवालात का दे सके हाजिर हों और जबावदेही दावा कीजिए और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज जो जिनको आप अपनी जबावदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हो पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

—द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय— श्रीमान प्रथम अपर सिविल जज (सी0डि0) बस्ती जिला—बस्ती
मूलवाद सं0—92/2024
बबलू आदि
बनाम
लालता आदि

7. लालजी उम्र लगभग 55 साल 8. रामजी उम्र लगभग 50 साल 9. शिवदास उर्फ सलामत उम्र 35 साल 10. धर्मेन्द्र उम्र 32 साल पुत्रगण रामबचन 11. विन्द्रा देवी उम्र 80 साल विधवा रामबचन समस्त निवासीगण ग्राम अवस्थीपुर तप्पा गनेशपुर परगना नगर पूरब तहसील व जिला बस्ती
—प्रतिवादीगण द्वितीय वर्ग

तारीख पेशी 19—05—2026

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 19 माह 05 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाव दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाव ऐसे सवालात का दे सके हाजिर हों और जबावदेही दावा कीजिए और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज जो जिनको आप अपनी जबावदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हो पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख 27 माह 04 सन 2026 ई0 जारी किया गया।

—द0 हाकिम

बेदखली सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी रामचेत चौधरी पुत्र स्वर्गीय राम अधार ग्राम—पसड़ा पोस्ट—वानपुर थाना लालगंज जनपद बस्ती का निवासी हूं। मेरे पांच पुत्र शिवशंकर उर्फ राजू, अनिल कुमार, विजय कुमार, गोविन्द और सूर्य नरायन उर्फ सूरज हैं। मैं और मेरी पत्नी श्रीमती वीरमती काफी वृद्ध हो चुके हैं। मेरी पत्नी की आंखों से दिखायी नहीं पड़ता और मैं चलने—फिरने में पूर्णतया असमर्थ हूं। मेरे सभी लड़कों की शादी हो चुकी है। सभी लड़के अपने—अपने पत्नियों, बच्चों के साथ रोजगार के सिलसिले में बाहर रहते हैं। मेरा और मेरी पत्नी की देखभाल करने वाला कोई नहीं रहता। जब बेटे और बहुओं से वृद्धावस्था में सेवा के लिये कहा जाता है तो वे साफ इंकार कर देते हैं और गाली व धमकियां देते हैं। मेरे पुत्र और बहुओं ने हम पति, पत्नी का जीना मुश्किल कर दिया है। वे धमकी देते हैं कि आप लोगों की चल व अचल सम्पत्ति जबरदस्ती लिखवा लेंगे। इसे देखते हुये मैं और मेरी पत्नी अपने पांचों पुत्रों और बहुओं को अपने चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल कर रहा हूं। अपने किसी भी कृत्य के लिये मेरे पुत्र व बहुयें जिम्मेदार होंगें। अब हम पति, पत्नी का उनसे कोई वास्ता सरोकार नहीं है। प्रकाशन इसलिये करा रहा हूं कि वक्त जरूरत पर काम आवे।

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय— श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला—बस्ती
मूलवाद सं0—157/2024
रामनाथ
बनाम
रामबेलास आदि

1. रामबेलास उम्र लगभग 50 साल पुत्र महादेव निवासी ग्राम छितहा तप्पा गौर परगना बस्ती पश्चिम तहसील हरैया जिला—बस्ती 2. ग्राम पंचायत कछिया जरिये प्रधान निवासी ग्राम कछिया तप्पा गौर परगना बस्ती पश्चिम तहसील हरैया जिला—बस्ती 3. राज्य सरकार उ0प्र0 जरिये जिलाधिकारी बस्ती

तारीख पेशी 21—05—2026

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 21 माह 05 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाव दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाव ऐसे सवालात का दे सके हाजिर हों और जबावदेही दावा कीजिए और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज जो जिनको आप अपनी जबावदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हो पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

—द0 हाकिम

अदालती नोटिस

इश्तहार मजरिया अदालत—श्रीमान सिविल जज (सी0डि0) बस्ती जिला—बस्ती
उत्तराधिकार वाद सं0 71/2026
राधेश्याम सिंह—सायलान

1— राधेश्याम सिंह उम्र 52 वर्ष 2— आशुतोष सिंह उम्र 49 वर्ष 3— अजय कुमार सिंह उर्फ अजय सिंह उम्र 45 वर्ष 4— सन्तोष कुमार सिंह उम्र 43 वर्ष पुत्रगण स्वर्गीय श्री रामचन्द्र सिंह 5— श्रीमती निर्मला सिंह उम्र 60 वर्ष पुत्री स्वर्गीय रामचन्द्र सिंह निवासीगण ग्राम पिपरा गौतम, तप्पा पिपरा, परगना नगर पूरब, तहसील बस्ती, जनपद बस्ती

तारीख पेशी 08—05—2026

दरख्वास्त मुसम्मा
वास्ते हुसूल सर्टीफिकेट वसूल कर्जा व विकालत हाय दरख्वास्त मुसम्मा मुतवफ्फा अपने बमूजिब एक्ट 7 सन 1889 ई0 वकैद

हरगाह मुसम्मा ने दरख्वास्त हुसूल सर्टीफिकेट गुजरानी है और तारीख माह सन ई0 वास्ते समाअत दरख्वास्त के मुकर्रर हुई है। लिहाजा यह इश्तिहार जारी किया जाता है कि किसी को निस्बत के उज्र हो या असालतन या वकालतन वक्त 10 बजे सुबह अदालत सिविल जज (सी0डि0) बस्ती बतारीख पेशी 08—05—2026 मुकर्रर हाजिर होकर उज्र अपना पेश करें। दरसूरत इनकजाय तारीख मजकूर के फिर उज्र किसी का सुना न जायेगा और हुक्म मुनासिब निस्बत दरख्वास्त मजकूर के सादिर होगा।

अलमरकूम माह सन 20 ई0।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

न्यायालय सिविल जज (सी0डि0) सिद्धार्थनगर स्थान द्वारा निकाली गयी उद्घोषणा
प्रकीर्ण वाद संख्या 45/2026

1— अवधराजी उम्र करीब 69 वर्ष पत्नी स्व0 गंगाराम 2—शिवपूजन उम्र करीब 25 वर्ष पुत्र स्व0 गंगाराम 3—उदयराज उम्र करीब 24 वर्ष पुत्र स्व0 गंगाराम 4—रामअचल उम्र करीब 22 वर्ष पुत्र स्व0 गंगाराम 5—राममनोहर उम्र करीब 19 वर्ष पुत्र स्व0 गंगाराम निवासीगण ग्राम—पोखरभिटवा, तप्पा—बुढ़ैली, परगना—बांसी पश्चिम, तहसील—इटवा, जिला—सिद्धार्थनगर
—आवेदकगण
बनाम
इस्टेट
1— इस्टेट 2—रामराज उम्र करीब 35 वर्ष पुत्र स्व0 गंगाराम निवासीगण ग्राम—पोखरभिटवा, तप्पा—बुढ़ैली, परगना—बांसी पश्चिम, तहसील—इटवा, जिला—सिद्धार्थनगर
प्रतिवादीगण द्वितीय पक्ष

तारीख पेशी— 12.05.2026

प्रा0 पत्र अन्तर्गत दफा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम

अपने पति/पत्नी मृतक गंगाराम को देय ऋण और प्रतिभूतियों को वसूल करने के लिये प्रमाण पत्र की अभिप्राप्ति के लिये सन 1886 ई0 के अधिनियम 7 के अधीन उत्तराधिकार का आवेदन के लिये।

चूंकि ने प्रमाण पत्र को अभिप्राप्ति के लिये आवेदन दिया है और सन 2026 के 05 के 12 दिवस आवेदन को सुनवाई के लिये नियत हुआ है। अतः यह उदघोषणा निकाली जाती है कि जिस किसी को उक्त आवेदन के सम्बन्ध में आपत्ति हो वह स्वयं या अभिवक्ता द्वारा ..10 बजे पूर्वान्ह न्यायालय सिविल जज (सी0डि0) सिद्धार्थनगर में नियत दिनांक पर उप संजात होकर अपनी आपत्ति पेश करें। उक्त दिनांक के अवसान पर फिर किसी की आपत्ति न सुनी जायेगी और आवेदन के सम्बन्ध में यथोचित आदेश पारित होगा।

2026 के 04 के 27 दिवस को दिनांकित।

दैनिक भारतीय बस्ती
संस्थापक सम्पादक स्व. दिनेश चन्द्र पाण्डेय
स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक प्रदीप चन्द्र पाण्डेय द्वारा दर्पण प्रिन्टिंग प्रेस वि0. नया हाल 1—4 A लोहिया काम्पलेक्स जिला पंचायत भवन गांधीनगर बस्ती (उ.प्र.) से मुद्रित एवं प्रकाशित।
प्रबन्ध सम्पादक—दिनेश सिंह
संयुक्त सम्पादक—प्रदीप चन्द्र पाण्डेय
अयोध्या—फैजाबाद कार्यालय— चतुर्भुजी मंदिर परिसर लक्ष्मण घाट अयोध्या—फैजाबाद
लखनऊ कार्यालय— आशियाना चौराहा, एल.डी.ए. कालोनी, सेक्टर एच कानपुर रोड लखनऊ।
गोरखपुर कार्यालय— इलाहीबाग गोरखपुर।
मो0 9336715406, 8400925463
ई.मेल bhartiyabasti@gmail.com
dainikbhartiyabasti@gmail.com